न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती दीपा गुर्जर,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक 29 जून, 2026
सेशन प्रकरण संख्याः– 91/2019 (CIS N. 91/2019)
C.N.R.N.–RJDG010014792019
राज०राज्य बनाम जयसिंह उर्फ जेसा व अन्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः–89/2019 पुलिस थाना धम्बोला डूँगरपुर
अपराध अंतर्गत धाराः– 302, 302/34, 392, 392/34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमती मणी पत्नी नाना उम्र वयस्क निवासी डूका फला धानमलिया पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. **जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामा** उम्र 42 साल। 2. **जेसा पिता धीरा** उम्र 49 साल। निवासीयान डूंका फला कुड़िया (धानमुलिया) पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री हितेन्द्र पटेल
अधिवक्ता परिवादी	––––

B

अपराध की दिनांक	04.06.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04.06.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18.11.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	11.02.2020
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	05.03.2020
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	––
निर्णय दिनांक	29.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	––––

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में

Authenticated Document

							व्यतीत की गई अवधि
1.	जयसिंह उर्फ जेसा	13.09.19	25.2.20	302, 302/34 व 392, 392/34 IPC	दोषसिद्ध	भा.द.सं. की धारा 302, 302/34 में आजीवन कारावास व तीस हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास	05 माह 12 दिन
2.	जेसा पिता धीरा	13.09.19	28.5.20	302,302/34 व 392, 392/34 IPC	दोषसिद्ध	भा.द.सं. की धारा 302, 302/34 में आजीवन कारावास व तीस हज़ार रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास	08 माह 15 दिन

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी डब्ल्यू 1	अर्जुनलाल	पंचायतनामा मृतक
पी डब्ल्यू 2	श्रीमती मणी	परिवादीया (मृतक की मां) पंचायतनामा मृतक
पी डब्ल्यू 3	श्रीमती शांति	मृतक की पत्नी
पी डब्ल्यू 4	मणिया	अन्य गवाह
पी डब्ल्यू 5	श्रीमती मंगु	अन्य गवाह
पी डब्ल्यू 6	राजेश कुमार	मृतक का भतीजा
पी डब्ल्यू 7	भानुमति	मृतक की पुत्री
पी डब्ल्यू 8	भरत	अन्य गवाह
पी डब्ल्यू 9	अजमल	पंचायतनामा, सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका, फर्द जब्ती तोलिया मृतक, फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी व कंट्रोल सैम्पल
पी डब्ल्यू 10	कल्याणसिंह	पंचायतनामा लाश, तस्दीक प्रमाण–पत्र
पी डब्ल्यू 11	लक्ष्मण	तस्दीक घटनास्थल, फर्द जब्ती तलवार, फर्द जब्ती बाईक

Authenticated Document

पी डब्ल्यू 12	अशोक कुमार	सैम्पल वाहक
पी डब्ल्यू 13	नाना	पंचायतनामा, सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका, फर्द जब्ती खून सना कपड़ा, फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी व कंट्रोल सैम्पल मिट्टी
पी डब्ल्यू 14	राजेश	मृतक का भतीजा
पी डब्ल्यू 15	खोमा	अन्य गवाह
पी डब्ल्यू 16	मोहन	फर्द बरामदगी तलवार, फर्द जब्ती मोटरसाइकिल, फर्द बरामदगी शर्ट, फर्द तस्दीक हत्या स्थल
पी डब्ल्यू 17	राजेश त्रिपाठी	कॉल डिटेल तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र संबंधित
पी डब्ल्यू 18	श्रीमती रूखी	अन्य गवाह
पी डब्ल्यू 19	सुहाग	जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी संबंधी
पी डब्ल्यू 20	नेपालसिंह	मालखाना प्रभारी
पी डब्ल्यू 21	वालाराम	एफ.आई.आर. प्राप्त करने संबंधी
पी डब्ल्यू 22	नरेन्द्रसिंह	मालखाना प्रभारी
पी डब्ल्यू 23	राजकुमार	एफ.आई.आर. दर्ज करने संबंधी
पी डब्ल्यू 24	दलपतसिंह	द्वितीय अनुसंधान अधिकारी
पी डब्ल्यू 25	बृजेश कुमार	प्रथम अनुसंधान अधिकारी
पी डब्ल्यू 26	कृष्णपालसिंह	सरपंच चुनाव संबंधित साक्ष्य
पी डब्ल्यू 27	डॉ. कमलेश	चिकित्सक
पी डब्ल्यू 28	जीतमल	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

Authenticated Document

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	पंचायतनामा लाश मृतक कुबेर
02	प्रदर्श पी 2	पुलिस कार्यवाही हेतु रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी 3	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक कुबेर
04	प्रदर्श पी 4	फर्द नक्शा मौका
05	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान गवाह सुश्री भानुमति
06	प्रदर्श पी 6	फर्द जब्ती खून सना तौलिया
07	प्रदर्श पी 7	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी व कंट्रोल सैम्पल मिट्टी
08	प्रदर्श पी 8 व 9	सरपंच ग्राम पंचायत डूंका की तस्दीक
09	प्रदर्श पी 10	फर्द तस्दीक द्वारा अभियुक्तगण
10	प्रदर्श पी 11	फर्द बरामदगी तलवार
11	प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नंबर आरजे 12 एसपी 3218
12	प्रदर्श पी 13	फर्द बरामदगी शर्ट अभियुक्त जेसा
13	प्रदर्श पी 14	फर्द योजना स्थल
14	प्रदर्श पी 15	थाने का अग्रेषण पत्र
15	प्रदर्श पी 16	पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र
16	प्रदर्श पी 17	प्राप्ति रसीद
17	प्रदर्श पी 18	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
18	प्रदर्श पी 19	पुलिस बयान गवाह खोमा
19	प्रदर्श पी 20 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
20	प्रदर्श पी 21 व 22	कॉल डिटेल
21	प्रदर्श पी 23	जेसालाल का मोबाईल प्रीपेड़ आवेदन पत्र
22	प्रदर्श पी 24	कस्टमर इंफोरमेशन फॉर्म प्रकाशचंद्र
23	प्रदर्श पी 25	वोड़ाफोन कंपनी का एस.पी. डूंगरपुर को लिखा पत्र
24	प्रदर्श पी 26	पुलिस बयान गवाह श्रीमती रूखी
25	प्रदर्श पी 27	जमाबंदी नकल
26	प्रदर्श पी 28	नक्शा ट्रेस

Authenticated Document

27	प्रदर्श पी 29	जमाबंदी नकल
28	प्रदर्श पी 30	जमाबंदी खतोनी प्रति
29	प्रदर्श पी 31	जमाबंदी नकल
30	प्रदर्श पी 32	नक्शा ट्रेस
31	प्रदर्श पी 33	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जेसा
32	प्रदर्श पी 34	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह
33	प्रदर्श पी 35	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह
34	प्रदर्श पी 36	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा
35	प्रदर्श पी 37	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह
36	प्रदर्श पी 38	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा
37	प्रदर्श पी 39	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह
38	प्रदर्श पी 40	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. द्वारा अभियुक्त जेसा
39	प्रदर्श पी 41	उपजिला निर्वाचन अधिकारी की सूचना
40	प्रदर्श पी 42	पंच/सरपंच के सदस्य पद के लिए निर्वाचन के परिणामों के विवरण की प्रमाणित प्रति
41	प्रदर्श पी 43	एमओ पी.एच.सी. पीठ को तहरीर
42	प्रदर्श पी 44	पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान गवाह अर्जुन
2	प्रदर्श डी 2	पुलिस बयान गवाह श्रीमती मणी
3	प्रदर्श डी 3	पुलिस बयान गवाह राजेश पिता भाथी
4	प्रदर्श डी 4	चॉक एफ.आई.आर.
5	प्रदर्श डी 5	पुलिस बयान गवाह राजेश पिता भुरा

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
–	–	–

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.06.2019 को परिवादिया श्रीमती मणी पत्नी नाना निवासी डूका फला धानमलिया पुलिस थाना धम्बोला ने बमुकाम C.H.C. सीमलवाड़ा डूँगरपुर पर थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.06.2019 की सुबह 12:30 ए.एम. पर वह और उसका बेटा कुबेरसिंह एवं उसकी पोती सुश्री भानुमति उम्र 13 वर्ष तीनों कुबेरसिंह के मकान के आंगन में एक खांट पर वह व उसकी पोती भानुमति व कुबेरसिंह दूसरे खांट पर सो रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में धारदार हथियार था और आते ही उसने कुबेर की गर्दन पर वार किया। कुबेर जैसे ही चिल्लाया वह उठी तो उसका भी हाथ पकड़कर उस व्यक्ति ने धक्का दिया और उसके दांहिने हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकाल लिया। पोती भानुमति भी चिल्लाई तब वो भादर की तरफ दौड़ा। उसने उसके बेटे कुबेर को देखा तो उसके गर्दन से काफी खून निकल रहा था। उनके चिल्लाने से उनके पड़ोसी मणीया पिता अर्जुन, मणीया की पत्नी मंगु दोनों आये थे। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे कुबेर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी है। कानुनी कार्यवाही करावें।.....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट मूल ही थानाधिकारी के पृष्ठांकनशुदा कानि. वालाराम ने पुलिस थाना धम्बोला पर लाकर पेश की जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 392 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मृतक कुबेरसिंह की लाश का फर्द पंचायतनामा मुर्तिब कर मृतक कुबेरसिंह का वक्त घटना पहना हुआ खून से सना हुआ तोलिया वजह सबूत जब्त किया गया। मृतक कुबेरसिंह की लाश का पोस्ट–मॉर्टम कर लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके वारिसानों को सुपुर्द की गयी। फर्द सुपुर्दगी जुदा मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। मौके पर पहुंचकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मौके से फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी व कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी वजह सबूत जब्त की गयी। कथन प्रार्थीया श्रीमती मणी गवाहान श्रीमती शान्ति, सुश्री भानुमति, मणीया, श्रीमती मंगु, भरत कुमार, अर्जुन व राजेश के लिये गये। कॉल डिटेल निकाली जाकर विश्लेषण किया। मृतक कुबेरसिंह की पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। घटनास्थल के आसपास की बीटीएस लोकेशन व

Authenticated Document

कॉल डिटेल के विश्लेषण से मोबाइल नंबर 9783246159 व मोबाइल नंबर 8094066074 का घटना के रोज रात्रि में घटनास्थल के पास की लोकेशन पायी। उसके बाद घटना के दूसरे दिन उक्त दोनों नंबर आपस में कई बार बात करना पाया जो नंबर 9783246159 जेसा पिता रामा व मोबाइल नंबर 8094066074 जेसा पिता धीरा निवासी डूका फला कुड़ीया के हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की गयी तो वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव थे, तब ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव के ग्राम पंचायत डूका से सरपंच के चुनावों में जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा खड़ा हुआ था, इस चुनाव में मृतक कुबेरसिंह भी खड़ा हुआ था। मृतक कुबेरसिंह व जेसा उर्फ जयसिंह दोनों एक ही वार्ड के थे, तब चुनाव में जेसा उर्फ जयसिंह हार गया था। मृतक कुबेरसिंह चुनाव में खड़ा नहीं होता तो जेसा उर्फ जयसिंह चुनाव में जीत जाता, इसी बात को लेकर मृतक कुबेरसिंह व जेसा उर्फ जयसिंह में रंजिश होने से दोनों मुल्जिमान ने योजना बनाकर घटना को अन्जाम देना स्वीकार किया जिस पर दोनों अभियुक्तगण जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा निवासीयान डूका फला कुड़ीया थाना धम्बोला को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान दोनों अभियुक्तगण की दफा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना से घटनास्थल की तस्दीक करायी जाकर अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह से आला–ए–कत्ल तलवार व अभियुक्त जेसा पिता धीरा से खून से सने कपड़े बरामद किये गये, योजना स्थल का निरीक्षण किया गया। दोनों मुल्जिमान को बाद अनुसंधान न्यायालय में पेश किया गया जिनके मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल की प्रमाणित प्रति संबंधित कंपनी से प्राप्त कर धारा 65 बी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। एफ.एस.एल. विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराया जाकर मालखाना हेड़ कानि. व वाहन के कथन लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। संपूर्ण अनुसंधान व पत्रावली पर आयी साक्ष्य से अभियुक्तगण **जेसा उर्फ जयसिंह व जेसा** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 392, 114/34 के अधीन आरोप पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. दिनांक 11.02.2020 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 302/34 व 392, 392/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाकर अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 4 व 5 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

Authenticated Document

5. दिनांक **05.06.2026** को अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 5 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार को मृतक कुबेरसिंह की माता श्रीमती मणी पी.डब्ल्यू–2 द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 प्रस्तुत की, जिस पर मौके से खून आलूदा मिट्टी व कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी जब्त की और मृतक की लाश का पंचायतनामा मुर्तिब कर मृतक के वक्त घटना पहने तोलिये को जब्त किया। उसके पश्चात अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा से तलवार व अभियुक्त जेसा पिता धीरा से वक्त घटना पहना शर्ट को बरामद किया गया, जिस पर मानव रक्त पाया गया। अभियुक्तगण ने अभिलेख पर इस संबंध में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनसे बरामद तलवार व शर्ट पर मानव रक्त किस प्रकार पाया गया। अतः एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 मृतक कुबेरसिंह के साथ की गयी कथित वारदात से अभियुक्तगण को पूर्णतया जोड़ती है और कथित वारदात अभियुक्तगण द्वारा ही कारित किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 एवं अन्य मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। मृतक कुबेरसिंह के साथ घटना कारित करने में अभियुक्तगण का हेतुक भी साबित है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को उन पर लगये गये आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित बहस पेश की कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। रिपोर्टकर्ता एवं घटना के समय उपस्थित बताये गये प्रमुख गवाहों द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट तथा पुलिस कथनों में किसी भी अभियुक्त का नाम अंकित नहीं कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किए जाने एवं मृतक की हत्या किए जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त जेसा एवं अन्य अभियुक्त के नाम बाद में जोड़ा जाना संदेहास्पद है तथा अभियोजन इस संबंध में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नहीं कर सका है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया

कि अभियोजन के प्रमुख गवाहों के कथनों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान हैं। गवाहों द्वारा पुलिस कथनों में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, उन्हें बाद में न्यायालय में पहली बार बताया गया है। कथनों में समय, स्थान, घटना की परिस्थितियों तथा अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में परस्पर असंगति पाई जाती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अभियुक्त पक्ष का यह भी तर्क है कि जिन व्यक्तियों को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया गया है, उनकी घटना स्थल पर उपस्थिति स्वयं संदेहास्पद है। गवाहों ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्तों को घटना कारित करते हुए नहीं देखा तथा उन्हें घटना की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। अभियोजन द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया गया कि घटना के समय उक्त गवाह वास्तव में घटना स्थल पर उपस्थित थे। पहचान परेड़ भी नहीं कराई गई, जबकि प्रारम्भिक रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई थी। ऐसी स्थिति में बाद में अभियुक्तों को नामजद किया जाना अभियोजन के लिए संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता। लिखित बहस में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा घटना के समय अभियुक्तगण की उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जा सकी है। बचाव पक्ष के गवाहों तथा अभियोजन के कुछ गवाहों के कथनों से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि दिनांक 03.06.2019 की रात्रि अभियुक्त जेसा अपने घर पर उपस्थित था। गवाहों द्वारा यह भी कथित किया गया कि वह रात्रि में अपने घर पर सोया था तथा प्रातःकाल वहीं से गया था। अभियोजन इन कथनों का प्रभावी खंडन नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त की घटना स्थल पर उपस्थिति संदेह से परे सिद्ध नहीं होती। अभियुक्त पक्ष ने बरामदगी संबंधी साक्ष्य को भी अविश्वसनीय बताया है। अभियुक्त जेसा द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई सूचना के आधार पर कथित रूप से तलवार एवं शर्ट बरामद की गई, किन्तु उक्त बरामदगी की प्रक्रिया अनेक संदेहों से घिरी हुई है। बरामदगी के गवाहों के कथनों में विरोधाभास है। किसी गवाह ने शर्ट में जेब नहीं होना बताया, जबकि न्यायालय में प्रस्तुत शर्ट में दो जेबे थी। जिस स्थान से तलवार बरामद होना बताया गया, वहां अन्य व्यक्तियों का भी आवागमन एवं निवास था। बरामदगी के समय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। तलवार पर प्राप्त हस्ताक्षरों की पुष्टि भी किसी गवाह द्वारा नहीं की गई है।

9. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित तलवार एवं शर्ट की बरामदगी घटना के लगभग तीन माह पश्चात दर्शायी गई है, जो स्वभावतः संदेहास्पद है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति हत्या जैसे गंभीर अपराध में प्रयुक्त हथियार एवं रक्तरंजित कपड़े इतने लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित नहीं रखेगा। बरामदगी के संबंध में अभियोजन के गवाहों के कथनों में भी पर्याप्त सामंजस्य नहीं है। अतः ऐसी बरामदगी को विश्वसनीय नहीं माना जा

सकता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि बरामद तलवार ही घटना में प्रयुक्त हथियार थी। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि मृतक को लगी चोटें उसी तलवार से कारित हुई थीं। पोस्ट–मॉर्टम करने वाले चिकित्सक ने भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा कि चोटें बरामद तलवार से ही संभव थीं। ऐसी स्थिति में कथित हथियार की बरामदगी का अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। अभियोजन के अनुसार आरोपी काले रंग की शर्ट पहने हुए था, जबकि किसी काले रंग की शर्ट की बरामदगी नहीं हुई। इसके विपरीत अन्य प्रकार की शर्ट बरामद होना दर्शाया गया है, जिससे अभियोजन की कहानी और अधिक संदिग्ध हो जाती है। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई सूचना तथा उसके आधार पर हुई बरामदगी भी स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होती। अभियुक्त पक्ष के अनुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अधिकांश गवाह संबंधित, पक्षकारों से प्रभावित प्रकृति के हैं। उनके कथनों को किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य से पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होता। अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी संदेहास्पद एवं विरोधाभासों से युक्त है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन रहा कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के विरोधाभासी कथनों, संदेहास्पद बरामदगी तथा अभियुक्तों की पहचान एवं उपस्थिति के अभाव में अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(ख) की परिकल्पना अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं की जा सकती एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए, जिनका ससम्मान अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

(1) 2025(2) CAR (Cri.)(SC) 271,
Govind Vs. State of Haryana.

(2) 2025(1) CAR (Cri.)(SC) 1,
Randeep Singh @ Rana & Anr. Vs. State of Haryana & Ors.

(3) 2025 Cr.L.R. (SC) 460,
Arun Vs. State of Madhya Pradesh.

(4) 2017 CAR (Cri.)(Raj.) 74,
Malta Ram & Anr. Vs. State of Rajasthan.

(5) 2022(2) CAR (Cri.)(SC) 392,
Shishpal @ Shishu Vs. State (N.C.T. of Delhi)

(6) 2024 Cr.L.R. (SC) 779,

Jagvir Singh Vs. State of Uttar Pradesh.

(7) 2025 Cr.L.R. (SC) 390,
Constable 907 Surendra Singh & Anr. Vs. State of Uttarakhand

(8) 2025(1) Cr.L.R. (Raj.) 274,
State of Rajasthan Vs. Deepak Soni & Ors.

10. उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय को अब इस बिन्दु पर अपना निर्णय देना है कि :–

"क्या दिनांक 04.06.2019 को 12:30 ए.एम. पर अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादिया मणी के डूंका फला धानमुलिया स्थित रहवासीय मकान के आंगन में सो रहे पुत्र कुबेरसिंह की गर्दन पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गयी और परिवादिया मणी के हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकालकर लूट कारित की ?"

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन के उपर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है।

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नप्रकार है :–

13. सर्वप्रथम न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि **क्या मृतक प्रकाशचन्द्र की मृत्यु मानववध है?** इस संबंध में प्रदर्श पी–1 घटना का पंचायतनामा दिनांक 04.06.2019 को C.H.C. सीमलवाड़ा में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार द्वारा मौतबिर अर्जुनलाल, मंगलसिंह, अजमल, नाना व कल्याणसिंह के समक्ष तैयार किया गया है, जिस पंचायतनामा को साक्षी पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल, पी.डब्ल्यू–9 अजमल, पी.डब्ल्यू–10 कल्याणसिंह व पी.डब्ल्यू–13 नाना ने साक्ष्य में प्रमाणित किया है। साक्षी पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि उसका भाई कुबेरसिंह, उसकी मां मणी और उसकी पुत्री भानुमति आंगन में सोये हुये थे। रात को 12:00 बजे मुल्जिमान जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा आये और उसके भाई को तलवार से काट दिया था। बचाव के लिए उसकी मां उठ गयी थी। मुल्जिमान ने लाईट बल्ब तलवार से काट दिया और उसकी मां के हाथ का कड़ा निकाल कर भाग गये। उसके भाई की गर्दन कटने से काफी खून निकल रहे थे। उसके भाई की मुल्जिमान द्वरा तलवार मारने से मृत्यु हो गयी थी। सरपंच के चुनाव को लेकर पूर्व का झगड़ा था। साक्षी पी.डब्ल्यू–9 अजमल ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को कुबेरसिंह की मृत्यु हुई थी।

उसके गले पर धारदार हथियार चलाने से मृत्यु हुई थी। साक्षी पी.डब्ल्यू–10 कल्याणसिंह का कथन रहा कि करीब सालभर पहले कुबेर की मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू–13 नाना ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि करीब दो साल पहले कुबेरसिंह की मृत्यु हो गयी थी। उक्त चारों साक्षीगण ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि कुबेरसिंह की लाश का अस्पताल सीमलवाड़ा में पंचायतनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। मृतक कुबेरसिंह की लाश मौतबिरान अजमल और नाना के समक्ष श्रीमती मणी को सुपुर्द की थी जिसकी लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी–3 है। पंचायतनामा प्रदर्श पी–1 के अनुसार मृतक कुबेरसिंह के गर्दन में बांयी तरफ धारदार हथियार का वार करने से गर्दन की हड्डी व मांस कटा हुआ हो गर्दन लगभग आधी कटी हुई हो मांस व हड्डीया दिख रही होना उल्लेखित है। उक्त साक्ष्य के क्रम में मृतक कुबेरसिंह का सी.एच.सी. सीमलवाड़ा में मेड़िकल बोर्ड द्वारा पोस्ट–मॉर्टम किया जाना बताया गया है, जिस संबंध में पी.डब्ल्यू–27 डॉ. कमलेश जो तत्कालीन पी.एच.सी. पीठ में चिकित्साधिकारी था, उसने अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को पुलिस थाना धम्बोला की तहरीर पर उसने मृतक कुबेरसिंह का पोस्ट–मॉर्टम कर रिपोर्ट तैयार की। मृतक का शव थानाधिकारी बृजेश कुमार मोर्चरी लेकर आये थे। पोस्ट–मॉर्टम का समय दोपहर 12:18 से शुरू किया था। मृतक की मृत्यु पोस्ट–मॉर्टम परीक्षण से 12–18 घण्टे पूर्व हुई थी। चोट संख्या–1 बांये भाग में लेसिरेटेड़ बाउण्ड 21X5X9 सेमी का था, चोट संख्या–2 बांये भाग की क्लेविकल हड्डी टूटी हुई थी व चोट संख्या–3 बांये भाग की कॉमन केरोटिड़ रेपचर और वर्टिबल कॉलम टूटा हुआ था। पॉस्ट–मॉर्टम हेतु दी गयी तहरीर प्रदर्श पी–43 है जिस पर ए से बी उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा तैयार की गयी पीएम रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसकी अंतिम राय पोस्ट–मॉर्टम फाईडिंग के अनुसार मृत्यु का मोस्ट प्रोबेबिलि कारण हाईपो वोल्यमिक शॉक और हिमोरेजिक शॉक जो कि अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हुआ था। प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि चोट संख्या– 1 व 3 में रक्त स्त्राव हुआ था।

14. अतः स्पष्ट है कि पंचायतनामा प्रदर्श पी–1 में उल्लेखित मृतक के गर्दन पर चोटों की परिस्थितियों एवं पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 एवं उसमें उल्लेखित चिकित्सक की राय सी से डी के अनुसार मृतक की मृत्यु उक्त चोट से अत्यधिक रक्त स्त्राव से होना प्रकट है, जिससे यह प्रमाणित है कि मृतक कुबेरसिंह की मृत्यु मानव द्वारा चोटें कारित करने के कारण हुई थी, किसी सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों,

Authenticated Document

पंचनामा प्रदर्श पी–1 एवं पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 से मृतक कुबेरसिंह की मृत्यु मानववध होना साबित है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 मृतक की माता श्रीमती मणी द्वारा दिनांक 04.06.2019 को थानाधिकारी बृजेश कुमार पी.डब्ल्यू–25 को बमुकाम C.H.C. सीमलवाड़ा में पेश करना उल्लेखित है जिस तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में यह उल्लेखित है कि दिनांक 04.06.2019 की सुबह 12:30 ए.एम. पर वह और उसका बेटा कुबेरसिंह एवं उसकी पोती सुश्री भानुमति उम्र 13 वर्ष तीनों कुबेरसिंह के मकान के आंगन में एक खांट पर वह व उसकी पोती भानुमति व कुबेरसिंह दूसरे खांट पर सो रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में धारदार हथियार था और आते ही उसने कुबेर की गर्दन पर वार किया। कुबेर जैसे ही चिल्लाया वह उठी तो उसका भी हाथ पकड़कर उस व्यक्ति ने धक्का दिया और उसके दांहिने हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकाल लिया। पोती भानुमति भी चिल्लाई तब वो भादर की तरफ दौड़ा। उसने उसके बेटे कुबेर को देखा तो उसके गर्दन से काफी खून निकल रहा था। उनके चिल्लाने से उनके पड़ोसी मणीया पिता अर्जुन, मणीया की पत्नी मंगु दोनों आये थे। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे कुबेर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी है।

16. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 की पुष्टि में पी.डब्ल्यू–2 श्रीमती मणी ने भी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि करीब नौ महीने पहले वे सो रहे थे। उसके लड़के कुबेर को काट दिया था जिस पर हो–हल्ला की आवाज़ सुनकर वह उठ गई थी। उसके लड़के को काटने वाले हाजिर अदालत मुल्जिमान थे। मुल्जिमान उसका 25 तौले का कड़ा हाथ से निकाल कर चले गए थे और लाईट भी काट दी थी। मुल्जिमान के हाथ में तलवार थी। उसके साथ भानुमति भी थी। उनके चिल्लाने पर पड़ोसी मणिया और उसकी पत्नी मंगु दोनों मौके पर आए थे। इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस में दी थी जो प्रदर्श पी–2 है। पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1 है, पुलिस ने उसे लाश सुपुर्द की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी–3 है। पुलिस मौके पर आयी थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 है जिन सभी फर्दो पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 पर एक्स स्थान पर अंगुठा पुलिस थाने में किया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 थाने वालों ने लिखी थी। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 उसके सामने लिखी थी। प्रदर्श पी–2 लिखते समय उसने किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया था। इसने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि प्रदर्श डी–2 में किसी भी मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–2 में अज्ञात

व्यक्ति द्वारा हत्या करने का इंद्राज किया हुआ है। इसने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उन्हें मुल्जिमान के नाम बताये थे। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि मौके पर कोई व्यक्ति पकड़ में नहीं आया था। आगे गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अंधेरी रात थी, लेकिन लाईट जल रही थी। इसने यह सही होना बताया है कि वह उठी उस समय मौके पर कोई नहीं था और भानुमति उठी उस समय मौके पर कोई नहीं था। इसने यह स्वीकार किया है कि शांति भी दूसरे घर सोई हुई थी। इसने यह स्वीकार किया है कि मणिया और मंगु आये उस समय भी मौके पर कोई नहीं था। इसने यह स्वीकार किया है कि शांति भी दूसरे घर सोई हुई थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि मुल्जिम जेसा और जयसिंह उनके घर पर अक्सर आते रहते थे। इसने यह स्वीकार किया है कि पहले मुल्जिमान के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। गवाह का कथन है कि घटना के दिन वह बेहोश थी, लाईट जलने की बात लिखवायी थी या नहीं उसे याद नहीं है। गवाह का कथन है कि यह उसे नहीं पता कि प्रदर्श पी–4 में लाईट जलने का कोई उल्लेख किया हुआ है या नहीं। इसने इस तथ्य को गलत होना बताया है कि मुल्जिमान तलवार मौके पर ही डाल कर भाग गये हो। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो। अंत में गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि लूटेरे आये हो और उसका कड़ा निकाल कर ले गये हो।

17. उक्त साक्ष्य का समर्थन पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल, पी.डब्ल्यू–3 श्रीमती शांति, पी.डब्ल्यू–4 मणिया, पी.डब्ल्यू–5 श्रीमती मंगु, पी.डब्ल्यू–6 राजेश कुमार व पी.डब्ल्यू–7 भानुमति ने भी अपने कथनों में किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल मृतक का सगा भाई है, ने भी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि जून 2019 को वह अहमदाबाद में था। मुल्जिम जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा उसके छोटे भाई कुबेर को तीन महिने से परेशान कर रहे थे। उसके भाई को गाली–गलोज़ और मारने की धमकियां दे रहे थे। उसका भाई कुबेरसिंह उसकी मां मणी और उसकी पुत्री भानुमति आंगन में सोये हुये थे। रात को 12:00 बजे मुल्जिमान जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा आये और उसके भाई को तलवार से काट दिया था। बचाव के लिये उसकी मां उठ गयी थी। मुल्जिमान ने लाईट बल्ब तलवार से काट दिया और उसकी मां के हाथ का कड़ा निकाल कर भाग गये। उसके भाई की गर्दन कटने से काफी खून निकल रहे थे। उसके भाई की मुल्जिमान द्वारा तलवार मारने से मृत्यु हो गयी थी। सरपंच के चुनाव को लेकर पूर्व का झगड़ा था। पहले सरपंच चुनाव के लिये मुल्जिम जेसा पिता रामा और उसका भाई खड़े हुये थे। जिसमें दोनों चुनाव में हार गये थे। कल्याणसिंह ने चुनाव जीता था। मुल्जिमान इस बात को लेकर उसके भाई से दुश्मनी रखते थे कि कुबेरसिंह फिर चुनाव में खड़ा हुआ तो वह हार जायेगा। उसका भाई दुकान कर रहा

था तो इस बात को भी लेकर मुल्जिमान दुश्मनी रखते थे। मुल्जिमान कुबेरसिंह की दुकान के पास जाकर गाली–गलोज़ करते थे। किसी के अवैध संबंध हो तो उसे पता नहीं क्योंकि वह बाहर रहता है। वक्त घटना वह अहमदबाद में था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जिस दिन कुबेर की हत्या हुई उस दिन वह अहमदाबाद में था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही ही है कि कुबेर को किसी ने मार दिया है यह सूचना उसे मिली थी। इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में मुल्जिम जेसा उर्फ जयसिंह का नाम नहीं दिया था। इस तथ्य को गलत होना बताया है कि उसके बयान पुलिस में तीन महीने बाद हुये हो। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 के ए से बी भाग में अंकित दिनांक सही लिखी हुई है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–1 का सी से डी हिस्सा सही लिखा है। गवाह का कथन है कि उसे सूचना मिली उसी दिन वह गुजरात से आ गया था। वह घटना से दो दिन पहले गुजरात गया था। वह मुल्जिमान जेसा और जयसिंह से घटना से पहले कभी नहीं मिला। आगे गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह घर पर नहीं रहता था, इसलिये घटना से पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि चुनाव 2015 में हुये थे। यह स्वीकार किया है कि 2015 चुनाव से लेकर कुबेर की हत्या की अवधि के मध्य कोई पुलिस कार्यवाही या रिपोर्ट नहीं की थी। इसने यह सही होना बताया है कि मुल्जिमान उसके घर पर राजीखुशी आते जाते थे। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा और मृतक का मकान करीब आधा किमी. के लगभग दूर है। इसने इस सुझाव को गलत बताया है कि मुल्जिम जयसिंह और कुबेर के बीच में बोलचाल हो। गवाह का कथन है कि प्रदर्श डी–1 का ई से एफ हिस्सा उसे नहीं पता, उसने नहीं लिखवाया है। गवाह ने यह गलत होना बताया है कि कुबेर की हत्या का तीन महिने तक पता नहीं चला हो। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि पुलिस ने मुल्जिम जेसा को तीन महीने बाद गिरफ्तार किया हो। गवाह का कथन है कि वक्त घटना मणी के साथ भानुमति थी। इसने यह स्वीकार किया है कि अंधेरी रात की घटना थी। इसने यह स्वीकार किया है कि मौके पर किसी को नहीं पकड़ा था। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि तलवार घटनास्थल पर ही पड़ी हो। इसने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि किस चीज से मारा उसे पता नहीं हो। गवाह का कथन है कि मणी जहां सोई हुई थी वहां एक ही मकान है। गवाह का कथन है कि उस दिन शांति घर पर थी। शांति घर पर सोई हुई थी और कुबेर दुकान पर सोया हुआ था।

18. इसी प्रकार अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–3 श्रीमती शांति मृतक की पत्नी है, ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि करीब नौ महीने पहले वह उसके घर पर थी। उसकी लड़की भानुमति ने उसे फोन किया था। उसके जेठ का लड़का और वह भादर गए। वहां पर उसकी

सास, उसका पति और उसकी पुत्री थे। मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा ने उसके पति को तलवार मारी थी जो उसके पति के गले में लगी थी। उसकी सास और उसकी पुत्री चिल्ला रहे थे। छह–सात दिन बाद उसकी सास सामान्य हुई, तब उन्होंने मुल्जिमान के नाम बताए थे। मुल्जिमान साथ आते थे इस कारण मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था फिर बाद में मुल्जिमान का नाम बताया था इसलिए पुलिस ने मुल्जिमान का नाम लिखा या नहीं उसे पता नहीं। मुल्जिमान उसके सास के हाथ से कड़ा निकाल कर ले गए थे। महेश खराड़ी बोरवेल का काम करता है। मुल्जिमान ने शराब पीकर मारने की बात कही थी। उसके एक महीने बाद मुल्जिमान ने उसके पति के साथ यह घटना कारित की थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वक्त घटना वह उसके घर पर सोई हुई थी। इसने यह भी स्वीकार किया है कि वह उसकी सास के साथ पुलिस थाने रिपोर्ट देने गई थी। गवाह का कथन है कि यह वह नहीं कह सकती कि उस समय मुल्जिमान के नाम लिखवाए थे या नहीं। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि उसने छह–सात दिन बाद भी मुल्जिमान का नाम पुलिस थाने में नहीं बताया था। इसने यह स्वीकार किया है कि उसके पति को भरत, श्यामलाल और महेश ने धमकी दी थी। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि महेश ने कुबेर को दो सौ रूपये दिए थे और महेश ने वापस खींच लिए और धमकी दी थी। इसने यह भी सही होना स्वीकार किया है कि मरने के दो–तीन महीने पहले महेश, श्यामलाल और भरत ने धमकी दी थी। इसकी स्वीकारोक्ति रही है कि जेसा पिता धीरा उनके घर पर आते–जाते रहते थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मुल्जिमान उनके रिश्तेदार होते हैं। यह स्वीकार किया है कि वक्त घटना अंधेरी रात थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि भानुमति ने कोई नाम नहीं बताया था। इस गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उन्हें मुल्जिमान के नाम पुलिस वालों ने बताए हो बल्कि उसकी सास ने बताए थे। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले मुल्जिमान को पकड़ कर लाए उसके बाद उसकी सास ने मुल्जिमान के नाम बताए थे।

19. इसी तरह अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–4 मणिया मृतक का पड़ोसी है जिसने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि उसके घर के पास उसके काका प्रताप का मकान है। वह और उसकी पत्नी खाना खाकर सो रहे थे कि कुबेर की लड़की ने आवाज दी जिस पर वे उठ गए। कुबेर की लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी को किसी ने मारा है जिस पर वह और उसकी पत्नी कुबेर के घर पर गए और उन्होंने कुबेर को गले से कटा हुआ देखा था। मौके पर कुबेर की मां मणी और उसकी पुत्री मौजूद थे। कुबेर की लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। कुबेर की मां ने उन्हें बताया था कि मुल्जिम कुबेर का गला काटकर मेरे हाथ का कड़ा निकाल कर ले गए

Authenticated Document

है। कुबेर मर गया था और उसके गले से खून निकल रहे थे। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वक्त घटना रात अंधेरी थी। इसने इस सुझाव को गलत बताया है कि लाईट नहीं हो। इसने यह स्वीकार किया है कि उन्हें मणी ने किसी का नाम नहीं बताया था। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि वे मौके पर पहुंचे उस समय तलवार कुबेर की लाश के पास पड़ी हो। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि कुबेर को किसने मारा उन्हें नहीं पता। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अंधेरा इतना था कि चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था।

20. इसी प्रकार अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–5 श्रीमती मंगु भी मृतक की पड़ोसी है, ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि वह और उसका पति उनके घर पर सोए हुये थे। उसके बाद भानुमति के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी जिस पर वे उठ कर कुबेर के घर गए जहां उन्होंने देखा कि कुबेर की गर्दन कटी हुई थी। भानुमति और कुबेर की मां मौके पर मौजूद थे। कुबेर की मां मणी के हाथ का कड़ा मुल्जिमान निकाल कर ले गए थे। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वे मौके पर गए उस समय अंधेरा था और मणी ने किसी का नाम नहीं बताया था। इसने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि तलवार मौके पर पड़ी हो। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि लाईट नहीं जल रही थी।

21. इसी प्रकार अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–6 राजेश कुमार मृतक का भतीजा है, ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को रात के 12:00 बजे उसके चाचा कुबेर पर मुल्जिम जेसा ने धारदार हथियार से वार किया था। उसके चाचा के साथ उनकी मां मणी देवी और उनकी बच्ची भानुमति थी। उसके चाचा और उनके घर वाले रात को सोये हुए थे। उसे रात को सूचना मिलने पर रात को लगभग 1:00 बजे मौके पर गया था, जहां उसने देखा कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा ने धारदार हथियार से वार किया था। कुबेरसिंह उस समय मर चुके थे। कुबेरसिंह की गर्दन कटी हुई थी और खाट पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद कुबेर सिंह के पड़ोसी मणिया और उसकी पत्नी मंगु भी मौके पर आए। कुबेरसिंह के अलावा उनकी मां मणी के साथ भी घटना हुई थी। मुल्जिम कुबेरसिंह की मां के हाथ का कड़ा निकाल कर ले गए थे। इनके बीच में सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद था। जेसा पिता रामा से कुबेरसिंह का चुनाव को लेकर विवाद था। पहले कुबेरसिंह और मुल्जिम जेसा दोनों एक ही वार्ड से चुनाव हेतु खड़े हुए थे। मुल्जिम तीन मतों से चुनाव हार गया था। वह कुबेरसिंह की मृत्यु से एक दिन पहले कुबेरसिंह की दुकान पर गया था। वहां पर कुबेरसिंह ने उसे बताया था कि जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। मुल्जिमान चुनाव में हार गए थे इस वजह से रंजिश रखते थे और कुबेरसिंह फिर से 2019

के चुनाव में खड़ा हो रहा था जिस कारण मुल्जिमान ने कुबेरसिंह की हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 पर ए से बी भाग पर अंकित तारीख सही लिखी है और पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 उसने पढ़े थे। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि मणिया और उसकी पत्नी मंगु उससे पहले मौके पर आ गए थे। इसने यह स्वीकार किया है कि वह मौके पर पहुंचा उस समय कोई मुल्जिम मौके पर मौजूद नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि उसके बयान दिनांक 05.09.2019 को हुए थे। इसने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 05.09.2019 से पूर्व मुल्जिम जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दी हो ऐसा कोई कागज नहीं है। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा चुनाव नहीं लड़ा था। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि वे मौके पर पहुंचे उस समय मौके पर तलवार पड़ी हुई हो। आगे गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा का मकान कुबेर के मकान से 50 फीट की दूरी पर है। कुबेर सिंह के दाह संस्कार में मुल्जिम जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा आए हो तो उसने नहीं देखा। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी थी। यह स्वीकार किया है कि पुलिस में रिपोर्ट कुबेर की मां ने दी थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि जब रिपोर्ट दी उस समय वह साथ में था। इसने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श डी 04 में ए से बी हिस्सा सही अंकित है। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा को घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया था। फिर थाने से फरार होने की सूचना पुलिस ने दी थी। पुलिस ने मुल्जिम जेसा पिता रामा को थाने पर बुलाकर गिरफ्तार किया था। इसने यह स्वीकार किया है कि सन् 2015 चुनाव के बाद से जेसा पिता रामा के विरूद्ध कुबेरसिंह ने कोई पुलिस कार्यवाही की हो उसकी जानकारी उसे नहीं है। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि घटना की रात को उसने किसी मुल्जिम को नहीं देखा था, वह बाद में पहुंचा था। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि घटना के समय एक व्यक्ति आया हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि भानुमति और मृतक की मां ने उसे किसी का नाम नहीं बताया हो। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा के नामजद रिपोर्ट पेश की हो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में नहीं है। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि जेसा पिता रामा का नाम चुनाव की रंजिश की वजह से आया था। इस तथ्य को भी गलत बताया है कि जेसा पिता धीरा की कुबेर से रंजिश नहीं हो। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता धीरा चुनाव नहीं लड़ा था।

Authenticated Document

22. इसी प्रकार अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–7 भानुमति मृतक की पुत्री है, ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 03.06.2019 को उसकी दादी मां सो रही थी और वह गेम खेल रही थी, उनके साथ उसके पिताजी भी थे जो सो गये थे। इसने हाजिर अदालत मुल्जिमान की तरफ इशारा कर बताया कि यह मुल्जिमान उसके घर आये और मुल्जिम जेसा पिता धीरा ने उसके पिताजी का तलवार से गला काट दिया। मुल्जिमान ने उसकी दादी के हाथ में पहाना हुआ कड़ा निकाला और लाईट काट दी फिर चले गये। उसके पिताजी को मुल्जिमान ने मार डाला था। उसके पिताजी का गला काटने से खून बह रहा था। दोनों मुल्जिमान ने वक्त घटना काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर मणिया पिता अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों आये थे। फिर उसने उसकी मम्मी को फोन किया तो वह भी मौके पर आयी थी। गवाह ने उसके पुलिस में बयान प्रदर्श पी–5 होना जिसके ए से बी हिस्से में दिनांक 04.06.2019 सही लिखवायी जाना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस में उसके बयान हुये उस समय उसके साथ उसकी दादी मां थी। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि जिस दिन थाने में रिपोर्ट दी उसी समय उसके बयान हुये थे। इसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके बयान पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाये थे, वह सही लिखे हुये थे। इसने यह स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को सही लिखवाये थे। इसने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा से दुश्मनी थी, इलसिये उनका नाम लिखवाया है। इसने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर किसी को नहीं पकड़ा था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि कुबेरसिंह चिल्लाया उस समय वे लोग खड़े हो गये थे। यह भी सही होना स्वीकार किया है कि जैसे वे खड़े हुये मारने वाले भाग गये थे। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि तलवार मौके पर पड़ी हुई हो। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि भागने वाले व्यक्तियों का किसी ने पीछा नहीं किया था। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जो लोग आये थे उनके चेहरे ढके हुये हो। राजेश पिता भाथी थोड़ी देर बाद मौके पर आये थे।

23. इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–6 राजेश कुमार पिता भाथी मृतक का भतीजा है, ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को रात के 12:00 बजे उसके चाचा कुबेर पर मुल्जिम जेसा ने धारदार हथियार से वार किया था। उसके चाचा के साथ उनकी मां मणी देवी और उनकी बच्ची भानुमति थी। उसके चाचा और उनके घर वाले रात को सोये हुए थे। उसे रात को सूचना मिलने पर रात को लगभग 1:00 बजे मौके पर गया था। जहां उसने देखा कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा ने धारदार हथियार से वार किया था।

कुबेरसिंह उस समय मर चुके थे। कुबेरसिंह की गर्दन कटी हुई थी और खाट पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद कुबेरसिंह के पड़ोसी मणिया और उसकी पत्नी मंगु भी मौके पर आए। कुबेरसिंह के अलावा उनकी मां मणी के साथ भी घटना हुई थी। मुल्जिम कुबेरसिंह की मां के हाथ का कड़ा निकाल कर ले गए थे। इनके बीच में सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद था। जेसा पिता रामा से कुबेरसिंह का चुनाव को लेकर विवाद था। पहले कुबेरसिंह और मुल्जिम जेसा दोनों एक ही वार्ड से चुनाव हेतु खड़े हुए थे। मुल्जिम तीन मतों से चुनाव हार गया था। वह कुबेरसिंह की मृत्यु से एक दिन पहले कुबेरसिंह की दुकान पर गया था। वहां पर कुबेरसिंह ने उसे बताया था कि जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा उसे मारने की साजिश रच रहे है। मुल्जिमान चुनाव में हार गए थे इस वजह से रंजिश रखते थे और कुबेरसिंह फिर से 2019 के चुनाव में खड़ा हो रहा था जिस कारण मुल्जिमान ने कुबेरसिंह की हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 पर ए से बी भाग पर अंकित तारीख सही लिखी है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 उसने पढ़े थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मणिया और उसकी पत्नी मंगु उससे पहले मौके पर आ गए थे। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि वह मौके पर पहुंचा उस समय कोई मुल्जिम मौके पर मौजूद नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके बयान दिनांक 05.09.2019 को हुए थे। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि वे मौके पर पहुंचे उस समय मौके पर तलवार पड़ी हुई हो। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा का मकान कुबेर के मकान से 50 फीट की दूरी पर है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस में रिपोर्ट कुबेर की मां ने दी थी। इसने यह स्वीकार किया है कि जब रिपोर्ट दी उस समय वह साथ में था। गवाह ने यह सही होना स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श डी 04 में ए से बी हिस्सा सही अंकित है। गवाह का आगे कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा को घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया था। फिर थाने से फरार होने की सूचना पुलिस ने दी थी। पुलिस ने मुल्जिम जेसा पिता रामा को थाने पर बुलाकर गिरफ्तार किया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना की रात को उसने किसी मुल्जिम को नहीं देखा था, वह बाद में पहुंचा था। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि घटना के समय एक व्यक्ति आया हो। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि भानुमति और मृतक की मां ने उसे किसी का नाम नहीं बताया हो। इसने यह स्वीकार किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा के नामजद रिपोर्ट पेश की हो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा का नाम

चुनाव की रंजिश की वजह से आया था। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि जेसा पिता धीरा की कुबेर से रंजिश नहीं हो।

24. इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–8 भरत ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि कुबेरसिंह की मृत्यु के दस दिन बाद वह कपड़े धो रहा था, तब हरीश और अस्मीता बाते कर रहे थे कि कुबेरसिंह की हत्या के बारे में गांव वाले जान जायेंगे तो वह अपने पिहर चली जायेगी। फिर रास्ते में किसी व्यक्ति को जाते देख वह दोनों चुप हो गए। कुबेरसिंह की हत्या हुई थी। कुबेरसिंह की हत्या किसने की थी उसे नहीं पता। वह हेण्डपम्प पर कपड़े धो रहा था। हेण्डपम्प हरीश के घर के पास में है। हरीश के मकान के पिछे तबेला है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुलिस में बयान हुए तब तक कुबेरसिंह के हत्यारों का पता नहीं चला था।

25. इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–14 राजेश पिता भुरा मृतक का भतीजा है, ने भी अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि करीब साल भर पहले उसके काका कुबेरसिंह की हत्या हुई थी। उसके काका कुबेरसिंह दुकान करते थे। भादर में उसके काका की दुकान थी जहां उनकी बेटी और उनकी मां साथ में थी। वक्त घटना वह सो रहे थे। मुल्जिम जेसा पिता रामा और मुल्जिम जेसा पिता धीरा ने उसके काका कुबेर को तलवार से मार दिया। तलवार उसके काका की गर्दन पर मारी थी। कुबेर की बेटी भानुमती ने कुबेरसिंह के घर पर फोन किया जिस पर उनकी पत्नी शांती और उसका बड़ा भाई धीरसिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच कर शांती ने उन्हें बताया कि कुबेरसिंह को तलवार से मारा था और उसकी मां के हाथ से चांदी का कड़ा निकाल लिया है। उनके आपस में 2015 में हुए सरपंच के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था। कुबेरसिंह 2015 में सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे और मुल्जिम जेसा पिता रामा भी चुनाव में खड़ा हुआ था। इस कारण दोनों के आपस में बोलचाल नहीं थी। मुल्जिम जेसा पिता रामा चुनाव में तीन वोटों से हार गया था। मुल्जिम जेसा यह सोचता था कि कुबेरसिंह खड़ा नहीं होता तो वह चुनाव जीत जाता मुल्जिम इसी बात की रंजिश रखता था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि घटना की रात्रि को वह अपने घर पर था। उसे रात के 12:30 बजे के आस–पास सूचना मिली थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह मौके पर पहुंचा उस समय कुबेर मरा हुआ पड़ा था। इसने यह भी स्वीकार किया है कि वह मौके पर पहुंचा उस समय मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा में से कोई नहीं था। गवाह का कथन है कि पुलिस ने उसके बयान घटना के दो दिन बाद लिए थे। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि पुलिस ने बयानों में जो तारीख डाली है वह सही होगी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना के

बाद वह थाने पर रिपोर्ट देने गया था। इसने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 उसके सामने मणी द्वारा दी गई थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह पहुंचा उस समय मौके पर अंधेरा था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि तलवार भी मौके पर खाट के नीचे पड़ी हुई थी, फिर कहा खाट के नीचे नहीं पड़ी थी। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि बाद में पुलिस वालें मौके से तलवार लेकर गए हो। गवाह का कथन है कि कुबेर उसके चाचा होते है। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि मुल्जिम कुबेर की हत्या की पुलिस कार्यवाही करने में उनके साथ हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा का नाम चुनाव की रंजिश से शंका होने पर लिखाया था। अंत में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा को किसीने नहीं देखा हो।

26. इस प्रकार तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में उल्लेखित तथ्यों एवं पी.डब्ल्यू–2 श्रीमती मणी, पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल, पी.डब्ल्यू–3 श्रीमती शांति, पी.डब्ल्यू–4 मणिया, पी.डब्ल्यू–5 श्रीमती मंगु, पी.डब्ल्यू–6 राजेश कुमार, पी.डब्ल्यू–7 भानुमति, पी.डब्ल्यू–8 भरत व पी.डब्ल्यू–14 राजेश की साक्ष्य से यह प्रकट है कि मृतक कुबेरसिंह घटना की रात्रि को 12:30 बजे रहवासीय मकान के आंगन में सो रहा था। उस समय एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में धारदार हथियार था आते ही उसने कुबेरसिंह की गर्दन पर वार किया। कुबेर जैसे ही चिल्लाया वह उठी तो उसका भी हाथ पकड़कर उस व्यक्ति ने धक्का दिया और उसके दांहिने हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकाल लिया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे कुबेर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। उक्त तहरीरी रिपोर्ट व साक्षीगण के कथनों से मृतक कुबेरसिंह के साथ कथित घटना कारित करने की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

27. इस संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–25 प्रथम अनुसंधान अधिकारी बृजेश कुमार ने अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को वह पुलिस थाना धम्बोला में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सी.एच.सी. सीमलवाड़ा पर प्रार्थीया मणी ने उसे एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर उसका ए से बी पुलिस का पृष्ठांकन, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर प्रार्थीयां मणी की अगुंठा निशानी है जो प्रदर्श पी–02 है। उसी दिन उसके द्वारा मृतक कुबेरसिंह का फर्द पंचायतनामा बनाया गया जो प्रदर्श पी–01 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मृतक कुबेर की फर्द सुपुर्दगी लाश बनाई गयी जो प्रदर्श पी–03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा

Authenticated Document

एक्स स्थान प्रार्थीयां मणी की अंगुठा निशानी है। घटना स्थल का निरीक्षण रूबरू मौतबिरान बनाया गया जो प्रदर्श पी–04 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर प्रार्थीयां मणी की अंगुठा निशानी है। मृतक कुबेर के द्वारा **पहना** तोलिया को रूबरू मौतबिरानों के समक्ष जब्त किया गया जो प्रदर्श पी–06 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी मौतबिरान के समक्ष लिया गया जो प्रदर्श पी–07 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। अभियुक्त जेसा पिता धीरा को रूबरू मौतबिरान जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्श पी–33 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी, ई से एफ मौतबिरान के जी से एच अभियुक्त जेसा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा को जरिये रूबरू मौतबिरान फर्द गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्श पी–34 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी, ई से एफ मौतबिरान व जी से एच अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा डामोर के द्वारा उसको धारा 27 सा.अधि. की सूचना दी कि कुबेरसिंह जिस जगह खाट पर सोया हुआ था जिसकी गर्दन पर तलवार से वार कर हत्या की थी उसके बाद हम दोनों वहां से चले गये थे वह स्थान में साथ चलकर बता सकता है जो प्रदर्श पी–35 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा पिता धीरा द्वारा उसको धारा 27 सा.अधि. की सूचना दी कि कुबेरसिंह जिस जगह खाट पर सोया हुआ था जिसकी गर्दन पर तलवार से वार कर हत्या की थी उसके बाद वे दोनों वहां से चले गये थे वह स्थान साथ चलकर बता सकता है जो प्रदर्श पी–36 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा द्वारा उसको धारा 27 की सूचना दी थी और यह बताया था कि जिस तलवार से जैसा पिता धीरा ने कुबेर की गर्दन पर वार किया था वह तलवार उसने उसके घर पर छूपा रखी जिसको वह साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी–37 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा पिता धीरा ने उसको धारा 27 साक्ष्य. अधि. की सूचना दी थी कि जिस वक्त उसने कुबेरसिंह की तलवार से गर्दन पर वार किया था उस वक्त उसके द्वारा पहना हुआ शर्ट जो उसने उसके घर पर छूपा रखा है जिसको वह साथ चलकर बता सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी–38 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह ने उसको धारा 27 सा.अधि. की सूचना दी कि उसने व जेसा पिता धीरा ने जिस स्थान पर घटना की योजना बनाई थी वह स्थान वह बता सकता है जिसकी फर्द प्रदर्श पी–

39 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा पिता धीरा ने उसको धारा 27 सा.अधि. की सूचना दी कि उसने व जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा ने जिस स्थान पर घटना की योजना बनाई थी वह स्थान वह बता सकता है जो प्रदर्श पी–40 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा तथा जेसा पिता धीरा द्वारा घटनास्थल की तस्दीक रूबरू मौतबिरान के समक्ष कराई गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिरानों के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जी से एच अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा व आई से जे अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जयसिंह के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फर्द बरामदगी तलवार स्थल रूबरू मौतबिरान बनाया गया जो प्रदर्श पी–11 है जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। वक्त घटना मौके पर काम में ली गई मोटरसाइकिल को अभियुक्त के मकान से जब्त किया गया जो प्रदर्श पी–12 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी, सी से डी मौतबिरानों के हस्ताक्षर है। अभियुक्त जेसा पिता धीरा की सूचना के अनुसार उसके द्वारा पहने हुए शर्ट की बरामदगी स्थल मौतबिरानों के समक्ष बनाया गया जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ई से एफ उसके, ए से बी, सी से डी मौतबिरानों के व जी से एच अभियुक्त जेसा पिता धीरा के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द योजना स्थल अभियुक्तगण की निशादेही से बनाई गई जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिरानों के, ई से एफ, जी से एच अभियुयक्तगण के व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। जब्तशुदा आर्टिकलों को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी–20ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक डूँगरपुर को जब्तशुदा आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाने बाबत् पत्र तैयार किया गया जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–17 है जिस पर ए से बी उसके पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 है। दौराने अनुसंधान गवाह सुश्री भानुमति, खोमा, रूखी, अर्जुन, मणी, राजेश, शांति, मणिया, मंगू, दौलतराम, भरत, नेपालसिंह हैड कानि., अशोक कुमार कानि. व नरेन्द्रसिंह हैड़ कानि. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। दौराने अनुसंधान उसका स्थानान्तरण प्रतापगढ़ हो जाने से पत्रावली दलपतसिंह पुलिस निरीक्षक के जिम्मे की थी।

28. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 श्रीमती मणी द्वारा उसे पेश की थी। इसने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट

Authenticated Document

प्रदर्श पी–02 सही लिखी थी। इसने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ नहीं था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि प्रदर्श पी–02 में वर्णित लूटा गया चांदी का कड़ा बरामद नहीं हुआ था। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि लूटा गया कड़ा बरामद किया जा सकता। इसने यह स्वीकार किया है कि श्रीमती मणी का लूटा हुआ चांदी का कड़ा कौन लेकर गया यह उसके अनुसंधान में नहीं आया। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि जेसा पिता धीरा व जेसा उर्फ जयसिंह द्वारा कड़ा लूटने का तथ्य उसने उसके अनुसंधान में प्रमाणित नहीं पाया। गवाह का कथन है कि वह सुबह 6:00–7:00 बजे घटना स्थल पर पहुंच गया था। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि जब वह मौके पर गया तब बल्ब फूटा हुआ नीचे गिरा हुआ न हो। इसने यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल प्रदर्श पी–04 में टूटे हुए बल्ब का टूट कर गिरा हुआ अंकित नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि भानूमति ने भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। इसने यह भी स्वीकार किया है कि श्रीमती मणी के बयानों में भी व्यक्ति का नाम नहीं था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि घटना के चार माह बाद गवाह राजेश व अर्जुन के बयान लेखबद्व किये थे स्वयं कहा कि अभियुक्तगण की तलाशी के लिये स्पेशल टीम गठित की गई थी जिसके साथ अभियुक्तगण की तलाशी के लिये व्यस्त था। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि मणीया व मंगू जब मौके पर पहुंचे तब उन्होंने ने भी किसी को नहीं देखा था। इसने यह भी स्वीकार किया है कि भरत पिता जेसा डामोर ने अपने बयानों में बताया था कि लोग कुबेर की हत्या किसने की है ये जानने पर अपने घर से भागने की बात बताई थी। इसने यह स्वीकार किया है कि भरत पिता जेसा अभियुक्त जेसा पिता धीरा एवं जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा का लड़का नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि सरपंच के चुनाव 2015 में हुए थे और घटना वर्ष 2019 की है। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि मृतक कुबेर और अभियुक्तगण के मध्य उक्त अवधि में कोई विवाद होने के संबंध में कोई रिपोर्ट उसके समक्ष पेश नहीं हुई थी स्वयं कहा कि बोलचाल व झगड़ा होता था गांव वाले बताते थे। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–08 व 09 में ग्राम पंचायत डूका द्वारा जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा के डूका फला कुड़िया गांव में मकान होने की तस्दीक दी है। यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत डूका के सरपंच को बरामदगी स्थल पर ले गया हो और तस्दीक कराई हो ऐसी कार्यवाही नहीं की थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि दिनांक 14.09.2019 की सूचना प्रदर्श पी–35 एवं दिनांक 14.09.2019 की सूचना प्रदर्श पी–36 के पूर्व में दिनांक 04.06.2019 को घटना स्थल पर गया था स्वयं कहा कि जब प्रकरण दर्ज हुआ तब गया

था। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–13 जब्ती बनाते समय उक्त मकान के बाहर तीन–चार लोग बैठे हुए थे तथा उक्त मकान खुला था। गवाह का कथन है कि उक्त तीन–चार लोग जो बैठे हुए थे, कौन–कौन बैठे हुए थे वह उनके नाम नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–38 में यह अंकित नहीं है कि उसके घर के अन्दर रखी अलमारी में शर्ट छूपा कर रखी हो जो वह बरामद करा सकता है। इस तथ्य को गलत बताया है कि अभियुक्त जेसा पिता धीरा ने तलवार जेसा पिता रामा को देने की बात नहीं बताई हो। गवाह का कथन है कि सूचना प्रदर्श पी–38 से जेसा पिता धीरा का मकान 15 किमी. दूर है। इसने यह स्वीकार किया है कि घटना के 24 घण्टे भीतर प्रकरण के आर्टिकल जब्ती नहीं की थी स्वयं कहा कि इलाके में अन्य घटना होने के कारण जाब्ते सहित उसे अन्यत्र जाना पड़ा। गवाह का कथन है कि प्रदर्श पी–11 की जब्ती के समय उक्त मकान में दो–तीन जने बैठे हुए थे। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–37 में अनाज की कोठी में तलवार छूपा कर रखी हो ऐसी सूचना नहीं है स्वयं कहा कि अभियुक्त ने तलवार घर में छूपाने की सूचना दी थी। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जब्ती के गवाहान को वह अपने साथ लेकर गया हो। गवाह का कथन है कि मौके पर पहुंचने के 15–20 मिनट बाद दोनों गवाहों को बुलाया था। इसने यह स्वीकार किया है कि गवाहों के जब्ती स्थल पर आने के बाद उन्हें उसने अपने साथ रखा था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि अभियुक्तगण के मकान के आस–पास बस्ती होकर अन्य मकान बने हुए है। इसने यह सही होना बताया है कि लक्ष्मण पिता वागा व मोहन पिता जमना मृतक कुबेर के रिश्तेदार हैं। गवाह का कथन है कि आज उसे याद नहीं है कि उक्त दोनों गवाहान के मकान मृतक के मकान के आस–पास है या नहीं। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जब्त शुदा तलवार मौके पर ही पड़ी हुई हो। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि जब्त शुदा शर्ट मृतक कुबेर का हो। गवाह का कथन है कि उक्त घटना अभियुक्तगण की मोबाईल लोकेशन घटना स्थल के पास ही आ रही थी। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि अभियुक्तगण की मोबाईल की लोकेशन गुजरात राज्य में आ रही हो। इसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से कोई मोबाईल बरामद नहीं हुआ था। गवाह का कथन है कि यह उसे ध्यान नहीं है कि मोबाईल नं. 9783246159 व 8094066074 अभियुक्तगण के नाम से न हो। अंत में इस गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के कब्जे से शर्ट व तलवार बरामद न हुई हो और अभियुक्तगण को झूंठा फसाया हो।

29. इसी प्रकार द्वितीय अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–24 दलपतसिंह ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 02.10.2019 को उसने पुलिस थाना धम्बोला में

थानाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण किया था। प्रकरण संख्या–89/2019 का अनुसंधान बृजेश निरीक्षक द्वारा किया गया था। उसने प्रकरण में ग्राम पंचायत डूका से अभियुक्त जेसा पिता रामा व अभियुक्त जेसा पिता धीरा के मकानों से संबंधित दस्तावेज ग्राम पंचायत से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किये थे जो क्रमशः प्रदर्श पी–8 व 9 है। अग्रिम कार्यवाही के तहत मोबाइल नंबर 9783246159 व 8094066074 जो वोड़ाफोन कंपनी के थे के नोड़ल ऑफिसर से प्राप्त 65 बी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया जो प्रदर्श पी–25 है जिस पर ए से बी उसका पृष्ठांकन होकर हस्ताक्षर है। संपूर्ण अनुसंधान से आरोपी जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा के खिलाफ अपराध धारा 302, 392, 114/34 भा.दं.सं. में चार्जशीट कता कर सक्षम न्यायालय में पेश की थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि आज उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी–8 व 9 उसके द्वारा ग्राम पंचायत डूका में जाकर प्राप्त किये थे अथवा नहीं। इसने यह स्वीकार किया है कि ऐसा नक्शा या फर्द संलग्न नहीं है कि सरपंच को मौके पर ले जाकर दिखाया हो। यह भी सही होना स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–8 व 9 में जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा डूका के निवासी है तथा वहां पर उनका स्वयं का मकान है। गवाह का कथन है कि यह उसकी जानकारी में नहीं है कि दोनों अभियुक्तों के गाँवों में दो–दो मकान हो। यह भी सही होना स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–10, 11 व 13 को संलग्न कर प्रदर्श पी–8 व 9 की तस्दीक ली हो ऐसा नहीं किया। गवाह का कथन है कि प्रदर्श पी–25 में जो मोबाइल नंबर अंकित है वो पूर्व के अनुसंधान अधिकारी बृजेश कुमार ने 65 बी प्रमाण–पत्र एवं सीडीआर हेतु भेजे थे जो प्राप्त होने पर उसने संलग्न पत्रावली किये थे। अंत में गवाह ने कथन किया है कि उक्त नंबरों के बारे में पूर्व अनुसंधान अधिकारी बृजेश कुमार बता सकते है।

30. इसी प्रकार पी.डब्ल्यू–21 वालाराम तत्कालीन कानि. पुलिस थाना धम्बोला ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को थानाधिकारी बृजेश कुमार द्वारा प्रार्थी मणी पत्नी नाना निवासी डूका थाना धम्बोला की पेशशुदा रिपोर्ट उसे थाने पर पेश करने दी थी जो उसने थाने पर जाकर इन्चार्ज थाना राजकुमार को प्रस्तुत की थी जो प्रदर्श पी–02 है जिसके ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी भाग पर इन्चार्ज थाना राजकुमार के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इन्चार्ज थाना द्वारा प्रकरण संख्या–89/19 कायम कर उसे थानाधिकारी को प्रस्तुत करने दी थी। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श डी–04 है जिसके ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त चॉक एफ.आई.आर. उसने इन्चार्ज थाना से प्राप्त कर थानाधिकारी बृजेश को सी.एच.सी. सीमलवाड़ा में दी थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है

कि रिपोर्ट दी उस समय वह वही था। गवाह ने यह यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–04 उसके सामने दर्ज हुई थी। गवाह का कथन है कि प्रदर्श डी–04 को उसने पढ़ा था। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–04 में घटना कारित करने वाले किसी अभियुक्त का नाम नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–02 मणी के कहने पर दर्ज हुई थी।

31. इसी तरह अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–23 राजकुमार तत्कालीन हेड़ कानि. पुलिस थाना धम्बोला होकर इन्चार्ज थाना ने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को थानाधिकारी धम्बोला को पेशशुदा लिखित रिपोर्ट मय पृष्ठांकन कानि. वालाराम नं. 267 द्वारा थाने पर लाकर पेश की जिसे उसने जुर्म धारा 302, 292 ताही में आना पाये जाने से प्रकरण संख्या–89/2019 दर्ज कर बाद कता चैक अनुसंधान बृजेश कुमार के जिम्मे कर मूल एफ.आई.आर. कानि. वालाराम के साथ सी.एच.सी. सीमलवाड़ा पर रवाना की थी। मूल रिपोर्ट प्रदर्श पी–02 है जिसके ए से बी भाग पर वालाराम के, सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ भाग पर उसका पृष्ठांकन है तथा जी से एच भाग पर थानाधिकारी बृजेश कुमार के हस्ताक्षर है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श डी–04 है जिसके ए से बी भाग पर कानि. वालाराम के तथा सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–02 रिपोर्ट एवं एफ.आई.आर. प्रदर्श डी–04 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सी.एच.सी. सीमलवाड़ा से थानाधिकारी द्वारा लेकर भिजवाई गयी थी। गवाह का कथन है कि रिपोर्ट प्रदर्श डी–04 मृतक के मां द्वारा दर्ज कराई गयी थी। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीयां की अंगुष्ठ निशानी सी.एच.सी. सीमलवाड़ा से होकर आई थी।

32. इस प्रकार बृजेश कुमार पी.डब्ल्यू–25 अनुसंधान अधिकारी को दिनांक 04.06.2019 को सी.एच.सी. सीमलवाड़ा पर परिवादिया मणी द्वारा उसे एक लिखित रिपोर्ट पेश किया जाना जो मूल ही प्रकरण कायमी हेतु उसके द्वारा कानि. वालाराम पी.डब्ल्यू–21 को थाने पर भेजने हेतु दी जाना, जिस पर कानि. वालाराम पी.डब्ल्यू–21 द्वारा थाना धम्बोला पर पहुंचकर इंचार्ज थाना पी.डब्ल्यू–23 राजकुमार को पेश की जाने पर राजकुमार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाना अपने कथनों में प्रकट किया है, जिस संबंध में उसने गवाहान के बयान लेखबद्ध किये हैं जिनकी साक्ष्य अनुसार मृतक की हत्या कारित किया जाना प्रकट होता है।

33. पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार अनुसंधान अधिकारी द्वारा साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–9 अजमल व पी.डब्ल्यू–13 नाना मौतबिर गवाह की उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शा मौका

प्रदर्श पी–4 बनाया जाना, खून से सना हुआ मृतक का तोलीया जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 के जब्त किया जाना व खून आलूदा मिट्टी व कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी जरिये फर्द प्रदर्श पी–7 लिया जाना बताया है जिस तथ्य के संबंध में मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–9 अजमल ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को कुबेरसिंह की मृत्यु हुई थी। उसके गले पर धारदार हथियार चलाने से मृत्यु हुई थी। पुलिस मौके पर आई थी जिसका नक्शा मौका कुबेर के मकान पर बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक कुबेर का वक्त घटना पहना हुआ तोलिया जब्त किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी और कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि वह दिनांक 04.06.2019 को दिन के 12:00 बजे घटनास्थल पर गया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसी समय रात को पुलिस तोलिया वगैराह ले गए थे। गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि वह मौके पर गया उस समय तलवार वहां पड़ी हुई हो। गवाह का कथन है कि कुबेरसिंह ने तोलिया पहन रखा था उसके अलावा कुछ नहीं था। वह गया उस समय मौके पर दो खाट थे। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि खाट पर खून लगा हुआ नहीं हो। इसने यह स्वीकार किया है कि उस समय कुबेर की लाश वहां पड़ी हुई नहीं थी। गवाह का कथन है कि कुबेर को पेंट पहना कर हॉस्पीटल ले गए थे। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि कि मौके पर पड़ी मिट्टी खून आलूदा थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि कुबेर के घर के सामने लाईट का थम्बा लगा हुआ था। इसने यह स्वीकार किया है कि उस समय लाईट नहीं लगी हुई थी। गवाह का कथन है कि उसके सामने नक्शा मौका बनाया उस समय लाईट का वायर कटा हुआ और बल्ब पड़ा हुआ था। मकान मौके से करीब डेढ़ किमी. दूर है। मृतक कुबेर उसका चचेरा भाई था। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 अज्ञात मुलजिमान द्वारा कुबेर की हत्या करने बाबत् बनाया था।

34. इसी तरह अन्य मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–13 नाना ने अपने कथनों में प्रकट किया है कि करीब दो साल पहले कुबेरसिंह की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस वालों ने कुबेरसिंह की लाश का पंचनामा बनाया था जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। घटना नदी के पास हुई थी। पुलिस ने नदी के पास का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक कुबेर का खून से सना कपड़ा जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

पुलिस ने खून आलूदा मिट्टी व कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी–7 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि कुबेरसिंह के घर पर जहां घटनास्थल प्रदर्श पी–4 बनाया था वहां लाईट नहीं थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर कोई टूटा हुआ बल्ब या लाईट का कनेक्शन कटा हुआ वायर पड़ा हुआ नहीं था। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि वह गया उस समय मृतक की लड़की और मां मौके पर ही थे। मृतक के तोलिये की जब्ती के संबंध में उक्त साक्षीगण के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभास अभिलेख पर प्रकट नहीं हुआ है जिससे पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2019 को मृतक कुबेरसिंह के तोलिये की जब्ती जिस पर खून लगे हुये थे स्पष्ट रूप से साबित है तथा उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर की गयी कार्यवाही प्रदर्श पी–4, प्रदर्श पी–6 व प्रदर्श पी–7 को स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी किया है।

35. गवाह पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार दौराने अनुसंधान जरिये फर्द प्रदर्श पी–33 के अभियुक्त जेसा पिता धीरा को व जरिये फर्द प्रदर्श पी–34 के अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह को मौतबिर जीतमल पी.डब्ल्यू–28 व नेपालसिंह पी.डब्ल्यू–20 के समक्ष गिरफ्तार किया जाना बताया है जिस तथ्य के संबंध में मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–28 जीतमल ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि दिनांक 13.09.2019 को वह पुलिस थाना धम्बोला में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी बृजेश कुमार ने उसके व नेपालसिंह के समक्ष अभियुक्तगण जेसा पिता धीरा व जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जेसा पिता धीरा प्रदर्श पी–33 व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह प्रदर्श पी–34 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह का कथन है कि अभियुक्तगण जेसा उर्फ जयसिंह व जेसा को अनुसंधान अधिकारी लाये थे कहां से लाये थे उसे नहीं पता स्वयं कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने थाने पर उसके सामने गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही को स्पष्ट रूप से साबित किया है।

36. गवाह पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार दौराने अनुसंधान पी.डब्ल्यू–11 लक्ष्मण व पी.डब्ल्यू–16 मोहन मौतबिर गवाह की उपस्थिति में जरिये फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–10 अभियुक्तगण जेसा उर्फ जयसिंह व जेसा पिता धीरा, तलवार जरिये फर्द प्रदर्श पी–11 व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

जरिये फर्द प्रदर्श पी–12 जब्त किया जाना एवं शर्ट की जरिये फर्द प्रदर्श पी–13 के बरामद किया जाना बताया गया है जिस तथ्य के संबंध में मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–11 लक्ष्मण ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि करीब साल भर पहले कुबेरसिंह की हत्या हुई थी। पुलिस ने तस्दीक करवाई थी। मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा ने घटनास्थल की तस्दीक करवाई थी। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम जेसा पिता रामा ने अपने घर से तलवार निकाल कर पुलिस को दी थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम ने अनाज की कोठी से तलावार निकाल कर दी थी। मुल्जिम जेसा पिता रामा से पुलिस ने एक बाईक जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम जेसा पिता धीरा ने अपने घर के अंदर अलमारी से अपना शर्ट निकाल कर पुलिस को दिया था। शर्ट पर खून लगा हुआ था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह मौके पर दिनांक 14.09.2019 को गया था। मृतक कुबेर उसका चचेरा भाई लगता था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसे पुलिस वाले लेकर गए थे। इसने यह स्वीकार किया है कि जो घटनास्थल पुलिस वालों के साथ देखा था उस पर उससे पहले भी तीन–चार बार गया था। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि उसने जेसा पिता रामा के मकान में प्रवेश नहीं किया हो। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा के मकान का ताला खुला था। वे जब गए उस समय अभियुक्त की माता मौजूद थी। इसने यह स्वीकार किया है कि उस मकान के आस पास एक और मकान था। गवाह ने स्वीकार किया है कि तलवार पुरानी थी। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि उसे मुल्जिम जेसा पिता रामा के मकान पर पुलिस वाले ले गए थे। इसने इस तथ्य को गलत होना बताया है कि मकान में पहले पुलिस वालों ने प्रवेश किया हो। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह मकान के अंदर बाद में गया हो। गवाह का कथन है कि वे 15 तारीख को 12:00 बजे के आस–पास पहुंचे थे। गवाह का कथन है कि मोहन उसका चचेरा भाई था उसे भी साथ में लिया था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि 12:00 बजे के बाद जेसा पिता धीरा के मकान पर गए थे। गवाह का कथन है कि उस मकान पर विजयसिंह पिता धीरा मौजूद था। शर्ट अलमारी के अंदर कपड़ो के नीचे था। उस समय बहुत सारे कपड़े नहीं निकाले थे सिर्फ एक ही कपड़ा निकाला था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके घर भी पुलिस वाले लेकर गए थे। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि शर्ट पुरी आस्तीन का था। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा और जेसा पिता रामा के मकान के आस पास छः–सात मकानात

हैं। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे थाने से साथ में लिया हो बल्कि रास्ते से लिया था। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि कोठी पुरी भरी हुई थी। गवाह ने जब्तशुदा तलवार मियान वाली होना बताया है। इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाए हो। गवाह का कथन है कि वे कार्यवाही कर 2:00 बजे के आस–पास निकले थे। उन्हें कुबेर की हत्या के तीन महीने बाद मौके पर ले गए थे। मोहन और वह साथ में ही थे। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उस समय कुबेर के भाई उनके साथ हो। गवाह का कथन है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा के दो मकान हैं। जेसा पिता रामा पुराने मकान में भी रहता है और नये मकान में भी रहता है उस समय वे पुराने मकान में गए थे। यह उसे नहीं पता कि जेसा पिता रामा के पुराने मकान में उसकी मां रहती हो और जेसा नये मकान में रहता हो। गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि जिस दिन कुबेर की हत्या हुई उसी दिन पुलिस वाले थाने में तलवार लेकर आ गए हो। इसने यह स्वीकार किया है कि इस घटना को लेकर वह थाने पर गया था। अंत में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जिस समय वह थाने पर गया उस समय पुलिस वालों ने एक तलवार और एक शर्ट पर खून लगाकर पैक किया हो। इसने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि कुबेर का ब्लड़ ग्रुप पुलिस ने चेक करके रखा हो। गवाह ने इस तथ्य को भी अस्वीकार किया है कि पुलिस को यह जानकारी हो गई हो कि मृतक कुबेरसिंह और मुल्जिम जेसा पिता रामा का ब्लड़ ग्रुप एक ही हो। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि शर्ट पर भी उसी ग्रुप का खून लगाकर फर्जी बरामदगी बताई हो। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि हत्या के बाद से वह बाहर नहीं गया। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा को किस तारीख को वापस लेकर गए इसकी उसे जानकारी नहीं है। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह कुबेर का रिश्तेदार है इसलिए उसे इस पत्रावली में गवाह बनाया हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा गांव में ही था, लेकिन पुलिस वाले उसको पहले ही ले गए थे फिर वहां से वह चला गया था और जेसा पिता धीरा गुजरात काम करने के लिए चला गया था। गवाह की यह स्वीकारोक्ति रही है कि जेसा पिता रामा के घर में दूसरी कोई तलाशी नहीं की थी। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मुल्जिम जेसा पिता धीरा के घर से जो शर्ट बरामद करना बताया है वह एक मात्र धुला हुआ नहीं था बाकी अन्य सभी कपड़े धोए हुए पड़े थे।

37. इसी तरह अन्य मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–16 मोहन ने अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 14.09.2019 को वह रास्ते में लक्ष्मण के साथ जा रहा था तो पुलिस ने उनको बुलाया पुलिस के साथ जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा थे। वे जेसा पिता रामा के

घर गए जहां पर अनाज की कोठी थी जिसमें से जेसा पिता रामा ने तलवार निकालकर दी थी। फर्द बरामदगी आलाए कत्ल तलवार प्रदर्श पी–11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तलवार की लम्बाई करीब ढाई फिट थी और डेढ इंच की चौड़ाई थी व उसका मोठा पीतल का था। पुलिस ने जेसा पिता रामा से एक मोटरसाइकिल जप्त की थी। गाड़ी एचएफ डिलक्स थी जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी–12 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वे जेसा पिता धीरा के घर पर गए थे। जहां पर जेसा पिता धीरा ने लोहे की अलमारी में से अपना शर्ट निकालकर बरामद कराया था। शर्ट गुलाबी रंग का था और दो जेब थे। शर्ट पर खून लगे हुए थे। फर्द बरामदगी शर्ट अभियुक्त जेसा पिता धीरा प्रदर्श पी 13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण ने कुबेरसिंह की हत्या करने का स्थान तस्दीक कराया था जो भादर नदी के पास है जहां पर कुबेर सिंह सोया हुआ था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी–10 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने पुलिस थाना धम्बोला द्वारा एक सीलचिटशूदा थेला पेश करने पर आर्टिकल 1 जिसमें से एक तलवार मय म्यान निकली जो आर्टिकल–2 व आर्टिकल–3 खून आलूदा शर्ट जिनकी पर्ची पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। गवाह ने उक्त आर्टिकल 2 व 3 उसके सामने अभियुक्त द्वारा बरामद कराये जाने का कथन किया है।

38. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह का कथन है कि कुबेर रिश्ते में उसके चाचा का लड़का होता था। जेसा पिता रामा के एक पक्का, एक कच्चा मकान व भैंस बांधने का तबेला है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल 3 खून आलूदा शर्ट के दो जेब नहीं है। इसने यह स्वीकार किया है कि उसे पुलिस वाले लेकर गए थे। गवाह का कथन है कि वह जेसा पिता रामा के घर गया उस समय उसकी मां व उसका बड़ा भाई अखमा भी मौजुद था। गवाह का कथन है कि वह जिस स्थान पर तलवार बरामद करने गया उस स्थान पर तीन कमरे थे। जेसा पिता रामा के पास वाला मकान अखमा पिता रामा का था। जहां बरामदगी बनायी उसके पास में विजयसिंह का मकान नहीं था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा की जो जब्ती प्रदर्श पी–11 बनायी है उसमें मकान के पास विजयसिंह का मकान जो बताया है वह गलत बताया हो यह वह नहीं कह सकता। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि वह विजयसिंह के मकान के पास जो मकान बना हुआ है उस मकान पर वह नहीं गया था। गवाह का कथन है कि उसके साथ उस समय लक्ष्मण भी था। वे दोनों साथ में ही जा रहे थे। वह मकान के अन्दर नहीं गया था। वह मकान के बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था। मकान के अन्दर पुलिस वाले गये थे। तलवार मकान के पहले वाले कमरे में से ही निकाली थी। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह झूठ बोल रहा है और अन्दर वाले कमरे से

तलवार निकाली हो। गवाह का कथन है कि वह जेसा पिता रामा के घर पर 9:00 बजे व जेसा पिता धीरा के घर पर 12:00 बजे पहुंचा था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता धीरा के घर पर कोई तलवार नहीं मिली थी। इसने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल 2 तलवार जंग लगी हुई है। गवाह का कथन है कि जिस दिन लाश मिली उस दिन वह मौके पर गया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। कुबेर की मृत्यु होने के तीन महिने बाद तलवार बरामद करके लाये थे। इसने यह सही होना स्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा पुराने मकान में रहता है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि तलवार नये मकान से बरामद कर के लाये हो। इसने यह स्वीकार किया है कि वे गये उस समय जेसा की पत्नी और उसके बच्चे भी मौजुद थे। गवाह का कथन है कि यह उसे नहीं पता जिस दिन कुबेर की लाश मिली उस समय पुलिस वाले मौके से तलवार और शर्ट बरामद करके ले गये हो। यह उसे नहीं पता की पुलिस वालों ने जैसा पिता रामा का खून लेकर तलवार पर लगाया हो। जेसा पिता धीरा के वहां गए उस समय जेसा की घर वाली और उसका बच्चा भी था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आर्टिकल 3 शर्ट कुबेर की लाश से बरामद किया हो, जो शर्ट निकाला वह भी बाहर से नजर आ रहा था। वह अंदर नहीं गया था, उस अलमारी में अन्य कितने कपड़े थे उसे नहीं पता। जेसा के मकान में विजयसिंह भी रहता था। गवाह ने आगे कथन किया है कि वे गये उसे समय विजयसिंह, जेसा की पत्नी, जेसा का लड़का सब मौजूद थे। जेसा पिता धीरा के मकान में भी तीन कमरे थे। जो बरामदगी की थी वह बीच वाले कमरे से की थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 सीधे थाने पर लेकर आए थे। गवाह का कथन है कि वह थाना धम्बोला में कुबेर की हत्या के बाद तीन बार गया था। उसके हस्ताक्षर कुबेर मरा उस समय भी कराए थे और बाद में फिर गया उस समय भी कराए थे। उसके हस्ताक्षर दो बार थाने में कराए थे एक बार कुबेर सिंह के घर पर कराए थे इसके अलावा उसके हस्ताक्षर कही पर नहीं कराए थे। गवाह ने अंत में यह स्वीकार किया है कि शर्ट और तलवार जिस दिन बरामद की उस दिन कुबेरसिंह के घर पर बैठकर उसके हस्ताक्षर कराए थे। इस प्रकार उक्त दोनों ही मौतबिर साक्षीगण ने अपने कथनों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान की गयी कार्यवाही प्रदर्श पी–11, प्रदर्श पी–12 व प्रदर्श पी–13 को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है।

39. गवाह पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार दौराने अनुसंधान पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार व निर्मल कुमार मौतबिर गवाह की उपस्थिति में योजना स्थल प्रदर्श पी–14 बनाया जाना बताया गया है जिस तथ्य के संबंध में मौतबिर गवाह पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि

Authenticated Document

दिनांक 16.09.2019 को अनुसंधान अधिकारी के साथ मौजा पांड़रवाड़ा पहुंचा, जहां पर योजना स्थल की फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त फर्द के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गयी है जिससे इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखण्डित रह जाते है।

40. यहां अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान एक तर्क यह रहा है कि बरामदगी स्थल मकान मुल्जिमान का हो, इस संबंध में उनकी मिलकियत के बारे में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये, जिससे बरामदगीस्थल अभियुक्तगण का हो यह तथ्य साबित नहीं है, उनका यह तर्क मानने योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयं अभियुक्तगण की सूचना पर उनकी निशादेही से उनके कब्जे के घर से तलवार व अभियुक्त जेसा पिता धीरा की शर्ट बरामद की गयी है जिसकी जानकारी स्वयं अभियुक्तगण को ही होना प्रकट है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से कल्याणसिंह तत्कालीन सरपंच को पी.डब्ल्यू–10 के रूप में परीक्षित कराया गया है ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि उसने सरपंच की हैसियत से अभियुक्त जेसा पिता रामा की सकुनत तस्दीक की थी जिसका प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार उसने अभियुक्त जेसा पिता धीरा की सकुनत तस्दीक की थी जो प्रदर्श पी–9 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि उसने सकुनत तस्दीक कुबेर की मृत्यु के दो तीन महिने बाद दी थी। उससे पुलिस थाने वालों ने तस्दीक मांगी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा के एक–एक मकान की तस्दीक दी थी। इसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा के दो मकान हो। इसके अलावा तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल डूका पी.डब्ल्यू–19 सुहाग कुमार ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि दिनांक 16.11.2019 को विजयसिंह के आवेदन क्रमांक 131 के आधार पर उसने मौजा डूका की जमा बंदी नकल प्रदर्श पी–27 को प्रमाणित किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह जमाबंदी खाता संख्या 537 कुल 08 खसरे जिनका क्षेत्रफल कुल 3.9982 हैक्टर खातेदारान जेसा पुत्र धीरा, भेमा पुत्र धीरा, विजयसिंह पुत्र धीरा, हंती पत्नी धीरा जिनमे सभी का समान हिस्सा है जिसका नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–28 है, इसकी खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय प्रदर्श पी–29 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

41. गवाह ने मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया है कि अखमा पिता रामा के आवेदन क्रमांक 130 के आधार पर उसने ग्राम डूका की जमाबंदी खाता संख्या–2 कुल खसरे 2 क्षेत्रफल 0.5585 हैक्टर नाम खातेदार अखमा पुत्र रामा, जयसिंह पुत्र रामा, धुली पत्नी स्व.

दला, रूखी पत्नी स्व. रामा सभी हिस्सा समान था जारी की थी जो प्रदर्श पी–30 है, उसकी खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय प्रदर्श पी–31 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इन्ही खसरों का नक्शा ट्रेस जारी किया था जो प्रदर्श पी–32 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–27 लगायत 32 तक उसने रिकॉर्ड़ देखकर जारी किये थे। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से बरामदगी स्थल अभियुक्तगण के स्वामित्व का साबित होता है।

42. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार की साक्ष्य के अनुसार घटनास्थल से बरामद किये गये एवं जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स को उसने मालखाना में जमा करवाया था और विधि विज्ञान प्रयोशाला जांच हेतु भेजे गये। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–15 है और एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–17 है। अनुसंधान अधिकारी की उक्त साक्ष्य के क्रम में मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू–20 नेपालसिंह ने अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.06.2019 को प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल कपड़े का तोलिया खून लगा को कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क–ए अंकित किया हुआ तथा घटनास्थल से जब्तशुदा खून आलूदा मिट्टी प्लास्टिक की थैली में रखकर कपड़े की थैली में सीलचिट कर मार्क–बी अंकित तथा कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी प्लास्टिक की थैली में रखकर कपड़े की थैली में सीलचिट मार्क–सी अंकित कर उसे संभलवाये जाने पर मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 89/260 में इन्द्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखा। असल मालखाना प्रदर्श पी–20 व नकल प्रदर्श पी–20 ए है और गवाह ने खून आलूदा तोलिया मार्क–ए आर्टिकल–1 होना, खून आलूदा मिट्टी मार्क–बी आर्टिकल–2 होना तथा खून आलूदा कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी मार्क–सी आर्टिकल–3 होना बताते हुये पर्ची के ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर होना तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि तलवार और शर्ट उसने जमा नहीं लिया था। इसने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 04.06.2019 को जमा होने के बाद 25.09.2019 को जमा होने के लिये उसने नहीं भेजे।

43. इसके अलावा अन्य मालखाना प्रभारी गवाह पी.डब्ल्यू–22 नरेन्द्रसिंह ने अपने कथनों में यह प्रकट किया है कि दिनांक 15.09.2019 को प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा एक आर्टिकल तलवार सीलिचटशुदा, एक मोटरसाइकिल हिरो कंपनी एचएफ डीलक्स नंबर आरजे 12 एसपी 3218 व एक शर्ट सीलचिटशुदा उसे संभलवाये जो आर्टिकल मालखाना रजिस्टर क्रमांक 164/327 में इन्द्राज कर दोनों आर्टिकल मालखाना में सुरक्षित रखे एवं मोटरसाइकिल थाना परिसर में सुरक्षित खड़ी की। गवाह ने जिसमें खून लगा शर्ट आर्टिकल–

3 होना आलाए कत्ल तलवार आर्टिकल–2 होना बताया है और मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–20 होना जिसकी नकल प्रदर्श पी–20ए होना तथा एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–17 होना कथन किया है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल–2 तलवार पर कोई सीलचिटशुदा किये जाने का पृष्ठांकन नहीं है स्वयं कहा कि पर्ची एफ.एस.एल. जांच से आने के बाद अलग हो गयी है जो आर्टिकलों के साथ में है। इस संबंध में मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–20ए के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि इसमें निम्नलिखित मालखाना आर्टिकल का इन्द्राज है जो इस प्रकार है :–

1. कपड़े का तोलिया बरंग ब्लैक व हल्का गुलाबी चौकड़ीदार पट्टियां बनी हुई तोलिए पर जगह–जगह खून लगा हूआ है। एक कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर मार्क "A" अंकित किया हुआ।

2. घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एक प्लास्टिक की थैली डाल कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर मार्क "B" अंकित किया हुआ तथा कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी एक प्लास्टिक थैली में डाल कपड़े की थैली में रख सीलचिट मार्क "C" अंकित किया।

3. एक धारदार तलवार मय म्यान के तलवार के धारदार फल पर जगह–जगह खून लगा हुआ है तलवार के पित्तल की मुठ है, तलवार की मुठ सहित कुल लम्बाई ढाई फीट तलवार के मुठ की लम्बाई 4 इंच फल की लम्बाई 2 फीट 2 इंच तलवार के फल की चौड़ाई डेढ़ इंच तलवार की फल का आगे का भाग नुकीला है, एक सफेद कपड़े की थैली में रख सीलचिट मार्क "D" अंकित किया।

4. हिरो कंपनी HF डिलक्स मोटरसाइकिल नंबर RJ 12 SP 3218 बरंग ब्लैक व ब्लूपर्ट चे.नं. MBLHA11ATG4B02503.

5. एक शर्ट बिल्कूल बारीक लाईनदार बरंग हल्का गुलाबी शर्ट की कॉलर के पास CAUJN FRANCE 40 CMS तथा COTT–WRINKL EEVCC काले रंग के स्टीकर लगे हुये है। शर्ट के आगे की तरफ दोनों साईड़ों व जेब पर तथा दांहिनी बाजू पर जगह–जगह खून के धब्बे लगे हुए है। खून के धब्बों का स्याही से गोला किया हुआ जो कपड़े की थैली में रख सीलचिट कर मार्क "E" अंकित किया हुआ।

44. इस प्रकार मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–20A जिसको पी.डब्ल्यू–20 नेपालसिंह व पी.डब्ल्यू–22 नरेन्द्रसिंह ने साक्ष्य में प्रमाणित किया है, उसमें मार्क A, B, C, D व E कुल 05 आर्टिकल्स जमा करने का इन्द्राज है, जो अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–

25 बृजेश कुमार द्वारा मालखाना में जमा करने हेतु पी.डब्ल्यू–20 नेपालसिंह व पी.डब्ल्यू–22 नरेन्द्रसिंह मालखाना इंचार्ज को दिये गये थे और जिन्हें मालखाना इंचार्ज नेपालसिंह द्वारा मलाखाना रजिस्टर के क्रम संख्या–89/260 पर एवं मालखाना इंचार्ज नरेन्द्रसिंह द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या–164/327 पर इन्द्राज कर मालखाना रजिस्टर के प्रदर्श पी–20A पर जमा करने का इन्द्राज किया था। ऐसी स्थिति में उक्त 05 आर्टिकल्स अनुसंधान के बाद मालखाना में सुरक्षित रूप से जमा होना अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार की साक्ष्य से प्रमाणित है।

45. पी.डब्ल्यू–22 नरेन्द्रसिंह ने अपने कथनों में यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 25.09.2019 को कानि. अशोक कुमार 819 के साथ मय अग्रेषण पत्र व आर्टिकल मार्क–ए से ई कुल 5 सीलचिटशुदा एसपी कार्यालय डूँगरपुर जाने रवाना किया गया तथा एसपी कार्यालय अग्रेषण पत्र तैयार करवा पुनः थाने पर आये तथा आर्टिकल को पुनः मालखाने में सुरक्षित जमा लिया। दिनांक 26.09.2019 को कानि. अशोक कुमार 819 पुनः आर्टिकल सीलचिट हालत में संभलवाकर एफ.एस.एल. उदयपुर के लिये रवाना किया गया जो उदयपुर पहुंच जमा करा मूल रसीद 455 दिनांक 26.09.2019 की लाकर उसे सुपुर्द की तथा उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर रसीद अनुसंधान अधिकारी को संभलवायी। इस संबंध में पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार तत्कालीन कानि. पुलिस थाना धम्बोला ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि दिनांक 25.09.2019 को एचएम मालखाना इंचार्ज ने कुल चार आर्टिकल मार्क ए, बी, डी व ई संभलवाये थे जिन्हें लेकर वह एसपी कार्यालय कागजात तैयार करवाने पहुंचा, जहां से कागजात तैयार करा पुनः थाने पर हाजिर आया और पाँच आर्टिकल सीलचिट अवस्था में एचएम मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किये। दिनांक 26.09.2019 को पुनः पाँच आर्टिकल सीलचिट अवस्था में मय कागजात प्राप्त कर एफ.एस.एल. कार्यालय उदयपुर पहुंचा और आर्टिकल जमा करा रसीद प्राप्त की। रसीद थाने में पहुंच कर एचएम मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। पुलिस थाना धम्बोला का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–15 है। एसपी का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–16 है। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–17 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल सीलचिट थे इसलिये वह नहीं बता सकता कि क्या–क्या आर्टिकल थे। इसने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकलों पर थानाधिकारी के अलावा मुल्जिमानों के हस्ताक्षर थे, लेकिन किन–किन मुल्जिमानों के हस्ताक्षर थे उसे आज याद नहीं है। गवाह का कथन है कि आर्टिकलों पर थानाधिकारी की सील लगी हुई थी जो आर्टिकल उसे दिये थे, उन्हें वह थैली में डालकर ले गया था। इसने यह सही होना स्वीकार

Authenticated Document

किया है कि वह आर्टिकल एफ.एस.एल. कार्यालय में थैली सहित जमा कराकर रसीद लेकर आया था। गवाह का कथन है कि वह यह नहीं बता सकता कि आर्टिकल मालखाना में जमा होने के कितने दिन बाद उसे सुपुर्द किये थे। अंत में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि एस.पी. ऑफिस आने के बाद भी आर्टिकलों पर सीले वगैरा लगी हुई थी।

46. अतः पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार की साक्ष्य से यह प्रकट है कि उक्त 05 आर्टिकल जब से उसके कब्जे में थे तब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने तक उसके कब्जे में रहे थे। पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त मालखाना आर्टिकल 05 पैकेट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाये जाने से पूर्व उनकी सील के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी–20A अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार, पी.डब्ल्यू–20 नेपालसिंह, पी.डब्ल्यू–22 नरेन्द्रसिंह व पी.डब्ल्यू–12 अशोक कुमार की साक्ष्य से यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित है कि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार के द्वारा अनुसंधान के दौरान 05 आर्टिकल A, B, C, D व E जब्त किये थे वे सभी मालखाना आर्टिकल सीलशुदा हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा हो गये थे, उनकी सील के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है।

47. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार की जिरह में आये कथन कि उक्त घटना अभियुक्तगण की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही आ रही थी और इसने इस तथ्य को गलत बताया है कि अभियुक्तगण की मोबाइल की लोकेशन गुजरात राज्य में आ रही हो तथा यह उसे ध्यान नहीं है कि मोबाइल नंबर 9783246159 व 8094066074 अभियुक्तगण के नाम से न हो, इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू–17 राजेश त्रिपाठी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि दिनांक 04.10.2019 को वह वोड़ाफोन आईड़िया लिमिटेड़ कम्पनी जयपुर में अल्टरनेट नोड़ल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उसने पुलिस अधीक्षक, डूँगरपुर के पत्र दिनांक 30.09.2019 की पालना में मोबाईल नं. 9783246159, 8094066074 की कॉल डिटेल दिनांक 15.05.2019 से 05.06.2019 तक की उपलब्ध करवाई थी। मोबाईल नं. 9783246159 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–21 है जो कुल 43 पृष्ठ में जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मोबाईल नं. 8094066074 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–22 है जो कुल 19 पृष्ठ में जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मोबाईल नं. 9783246159 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय आईडी प्रदर्श पी–23 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। कम्पनी रिकाड़ के अनुसार उक्त नम्बर

जेसालाल के नाम से जारी किया गया है। मोबाईल नं. 8094066074 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय आईड़ी प्रदर्श पी–24 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। कम्पनी रिकार्ड़ के अनुसार उक्त नम्बर प्रकाशचन्द्र के नाम से जारी किया गया है। उपरोक्त कॉल डिटेल एवं कस्टमर एप्लीकेशन फार्म के संदर्भ में उसके द्वारा जारी धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–25 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मोबाईल नं. 9783246159 गुजरात से जारी किया गया हो। गवाह का कथन है कि दोनों नम्बर का फिजिकल लोकेशन वह आज नहीं बता सकता है स्वयं कहा कि कम्पनी रिकार्ड़ देखकर बता सकता है। उक्त साक्षी ने मोबाइल नंबर 9783246159 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–21 व मोबाइल नंबर 8094066074 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–22, मोबाइल नंबर 9783246159 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय आईडी प्रदर्श पी–23 व मोबाइल नंबर 8094066074 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मय आईड़ी प्रदर्श पी–24 तथा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–25 को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है।

साक्ष्य के उक्त विवेचन से निम्न घटना की परिस्थितियां प्रकट होती है :–

1. अनुसंधान के दौरान घटनास्थल पर खून आलूदा मिट्टी, मृतक कुबेरसिंह का तोलिया जिस पर खून लगा हुआ था की जब्ती प्रमाणित हुई है और इनको जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया।

2. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार से जिरह में उक्त घटना अभियुक्तगण की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास ही आ रही थी कथन किया गया है। अभियुक्तगण का इस संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि घटनास्थल के पास उनकी लोकेशन क्यों पायी गयी। अभियुक्तगण और मृतक घटनास्थल की लोकेशन पायी जाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय वे एक ही स्थान पर थे।

3. अभियुक्तगण जेसा उर्फ जयसिंह व जेसा की स्वप्रेरणा के आधार पर अभियुक्त जेसा उर्फ जयसिंह के कब्जे के रिहायशी मकान केलुपोश के आगे वाले खण्ड में रखी मिट्टी से बनी अनाज डालने की कोठी में से अनाज के अन्दर छिपा कर रखी तलवार मय म्यान बरामद होना और अभियुक्त जेसा पिता धीरा के रिहायशी केलुपोश मकान के अन्दर रखी लोहे की अलमारी में से रखे कपड़ों के नीचे छिपा कर रखी शर्ट बरामद होना जिसे जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा जाना साबित हुआ है।

Authenticated Document

4. उक्त परिस्थितियों के अनुक्रम में एफ.एस.एल. की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 के अनुसार मृतक का तोलिया पैकेट मार्क A, खून आलूदा मिट्टी पैकेट मार्क B, तलवार पैकेट मार्क D व अभियुक्त जेसा पिता धीरा का शर्ट पैकेट मार्क E उक्त सभी पर "A" ग्रुप का मानव रक्त होना पाया गया। इस संबंध में अभियुक्तगण का कोई स्पष्टीकरण नहीं रहा है कि अभियुक्त जेसा पिता धीरा के शर्ट पर उक्त "A" ग्रुप का मानव रक्त क्यों पाया गया, ना ही पत्रावली पर अभियुक्त जेसा पिता धीरा के किसी प्रकार की चोट हो या उस दौरान रक्त स्त्राव रहा हो ऐसा कोई कथन या तथ्य है जिससे यह पुख्ता साबित होता है कि उक्त शर्ट पर आया हुआ रक्त मृतक कुबेरसिंह का ही है।

48. यहां तक की धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण के दौरान भी वक्त घटना पहने अभियुक्त जेसा पिता धीरा के शर्ट पर "A" ग्रुप का मानव रक्त प्राप्त होने के संबंध में अभियुक्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 के संबंध में मात्र यह उत्तर दिया है कि "गलत है। उससे तलवार बरामद नहीं हुई है इसलिये स्वीकार नहीं है।" अभियुक्त जेसा पिता धीरा की स्वप्रेरणा पर बरामद वक्त घटना पहने शर्ट पर "A" ग्रुप का मानव रक्त कैसे पाया गया, इस बाबत अभियुक्त जेसा पिता धीरा की ओर से कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में अभियुक्त जेसा पिता धीरा की निशादेही पर उसकी स्वैच्छिक सूचना पर वारदात के समय पहनी शर्ट की बरामदगी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित हुई है और बरामद शर्ट पर वहीं "A" ग्रुप का मानव रक्त पाया गया जो घटनास्थल से बरामद खून आलूदा मिट्टी, मृतक कुबेरसिंह के तोलिये व तलवार पर पाया गया। तलवार पर "A" ग्रुप का रक्त पाया गया है जो अपने आप में ही स्पष्ट इंगित करता है कि मृतक के गर्दन पर हमला उक्त तलवार से ही किया गया है जो संपर्क में आने से रक्त रंजित तलवार दौराने जाँच बरामद हुई है और यह बहुत ठोस तथ्य है जिसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

49. उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसी स्थिति में एक मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण जेसा उर्फ जयसिंह पिता रामा व जेसा पिता धीरा द्वारा कुबेरसिंह की हत्या कारित करने के आशय से उस पर साशय तलवार से वारकर घातक चोटें पहुंचायी जिसके फलस्वरूप कुबेरसिंह की मृत्यु हुई।

50. जहां तक मृतक कुबेरसिंह के साथ कथित वारदात करने में अभियुक्तगण के हेतुक का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियोजन ने घटना के संबंध में कोई हेतुक साबित नहीं किया है। जहां मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो ऐसी स्थिति में कथित घटना कारित करने

में अभियुक्तगण का हेतुक (मकसद) साबित करना आवश्यक है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू–1 अर्जुनलाल मृतक का सगा भाई है, ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि सरपंच के चुनाव को लेकर पूर्व का झगड़ा था। पहले सरपंच चुनाव के लिये मुल्जिम जेसा पिता रामा और उसका भाई खड़े हुये थे जिसमें दोनों चुनाव में हार गये थे। कल्याणसिंह ने चुनाव जीता था। मुल्जिमान इस बात को लेकर उसके भाई से दुश्मनी रखते थे कि कुबेरसिंह फिर चुनाव में खड़ा हुआ तो वह हार जायेगा। इसी तरह अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–6 राजेश कुमार मृतक का भतीजा है, ने भी अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि इनके बीच में सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद था। जेसा पिता रामा से कुबेरसिंह का चुनाव को लेकर विवाद था। पहले कुबेरसिंह और मुल्जिम जेसा दोनों एक ही वाड़ से चुनाव हेतु खड़े हुये थे। मुल्जिम तीन मतों से चुनाव हार गया था। वह कुबेरसिंह की मृत्यु से एक दिन पहले कुबेरसिंह की दुकान पर गया था वहां पर कुबेरसिंह ने उसे बताया था कि जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा उसे मारने की साजिश रच रहे है। मुल्जिमान चुनाव में हार गये थे इस वजह से रंजिश रखते थे और कुबेरसिंह फिर से 2019 के चुनाव में खड़ा हो रहा था जिस कारण मुल्जिमान ने कुबेरसिंह की हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता रामा का नाम चुनाव की रंजिश की वजह से आया था। इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–14 राजेश भी मृतक का भतीजा है, ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि उनके आपस में 2015 में हुये सरपंच के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था। कुबेरसिंह 2015 में सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़े हुये थे और मुल्जिम जेसा पिता रामा भी चुनाव में खड़ा हुआ था। इस कारण दोनों के आपस में बोलचाल नहीं थी। मुल्जिम जेसा पिता रामा चुनाव में तीन वोटों से हार गया था। मुल्जिम जेसा यह सोचता था कि कुबेरसिंह खड़ा नहीं होता तो वह चुनाव जीत जाता। मुल्जिम इसी बात की रंजिश रखते था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मुल्जिम जेसा पिता रामा और जेसा पिता धीरा का नाम चुनाव की रंजिश से शंका होने पर लिखाया था। इसी तरह अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि सरपंच के चुनाव 2015 में हुए थे और घटना वर्ष 2019 की है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक कुबेर और अभियुक्तगण के मध्य उक्त अवधि में कोई विवाद होने के संबंध में कोई रिपोर्ट उसके समक्ष पेश नहीं हुई थी। स्वयं कहा कि बोलचाल व झगड़ा होता था, गाँव वाले बताते थे। इसी क्रम में साक्षी पी.डब्ल्यू–26 कृष्णपालसिंह तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूँगरपुर ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 23.09.2019 को पुलिस थाना धम्बोला की तहरीर पर उसके द्वारा वर्ष 2015

में ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच चुनाव के लिये खड़े हुये प्रत्याशियों की सूची मय प्रत्याशियों को प्राप्त मत की सूचना चाही थी जिस पर उसके द्वारा प्रारूप 07 पंच/सरपंच पद के लिये निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाला विवरण की फोटो प्रति उपलब्ध करायी थी। उसके द्वारा पुलिस थाना धम्बोला लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–41 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पंच/सरपंच के सदस्य पद के लिये निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरण की प्रमाणित फोटो प्रति रिपोर्ट प्रदर्श पी–42 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि उसे पुलिस थाना धम्बोला द्वारा कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पंच/सरपंच के लिये 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। उक्त साक्षी ने वर्ष 2105 में पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी प्रदर्श पी–42 को साबित किया है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त मेरी विनम्र राय में प्रस्तुत साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित होता है कि अभियुक्तगण के पास हस्तगत घटना को अंजाम देने के लिए हेतुक (Motive) था और इसी कारण उन्होंने मृतक कुबेरसिंह की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कारित कर दी।

51. प्रकरण में उक्त परिस्थितियां इस बात को साबित करती है कि जब मृतक कुबेरसिंह रात्रि में समय करीब 12:30 ए.एम. पर उसके मकान के आंगन में उसकी मां श्रीमती मणी व पुत्री भानुमति अलग–अलग चारपाई पर सोये हुये थे, तब अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा ने मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में मृतक कुबेरसिंह को जान से मारने की नियत से उसके गले में धारदार हथियार तलवार से वार कर उसकी साशय हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां परिपूर्ण व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है जो मृतक कुबेरसिंह के साथ हुई कथित घटना से अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा को पूर्णतया जोड़ती है और साथ ही घटना कड़ी दर कड़ी यह जाहिर करती है कि मुल्जिमान ने सीधे ही मृतक के गर्दन जैसे संवेदनशील हिस्से पर वार किया है और वो भी एक धारदार हथियार से किया है जिससे यह स्पष्ट जाहिर है कि जो इरादा था वो पूर्णतया मृतक को मारने का रहा है, साथ ही यह प्रतीत होता है कि उक्त उद्देश्य में मुल्जिमान द्वारा उसी के अनुसरण में धारदार हथियार से संवेदनशील हिस्से पर वार किया गया जिससे मृतक की मृत्यु कारित होने में कोई संशय नहीं रहे। अगर लूट का इरादा होता तो पहला प्रयास कीमती सामान लेने का होता जिसके विरोध के परिणामस्वरूप वार किया होता, परन्तु यहां पर सीधे ही मृतक पर मृत्यु जनित हमला किया है।

Authenticated Document

52. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक तर्क यह रहा है कि गवाह पी.डब्ल्यू–15 खोमा और पी.डब्ल्यू–18 श्रीमती रूखी पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। उक्त तर्क हमारी विनम्र राय में माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि गवाह पी.डब्ल्यू–15 खोमा पक्षद्रोही अवश्य हुआ है, लेकिन उसने अपनी साक्ष्य में कुबेर की हत्या होना कथन किया है और गवाह पी.डब्ल्यू–18 श्रीमती रूखी ने अभियुक्त जेसा पिता रामा के साथ रहना बताया है। ऐसी स्थिति में श्रीमती रूखी अभियुक्त जेसा पिता रामा के खिलाफ क्यों बयान देगी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने मात्र से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

53. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि चिकित्सक साक्षी पी.डब्ल्यू–27 डॉ. कमलेश ने बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर पर कोई धारदार हथियार से कारित चोट नहीं थी। चोट संख्या–1 व 3 में रक्त स्त्राव हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि चोट संख्या–1 व 3 धारदार हथियार की चोट नहीं थी। वह नहीं कह सकता कि चोट संख्या–1 व 3 तलवार से कारित हुई हो। वह यह भी नहीं कह सकता कि चोट संख्या–1 व 3 धारदार हथियार से कारित की हो व ब्लंट होती या नहीं। यह हो सकता है कि भोटे हथियार से कारित की हुई हो सकती है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने जो सूचना दी उसके अनुसार ब्लंट ऑबजेक्ट से चोट आना बताया गया है, लेकिन उक्त तर्क भी हमारी विनम्र राय में माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त चिकित्सक साक्षी ने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि मृतक कुबेरसिंह के चोट संख्या–1 बांये भाग में लेसिरेटेड़ बाउण्ड 21X5X9 सेमी का था और चोट संख्या–2 बांये भाग की कलेविकल हड्डी टूटी हुई थी तथा चोट संख्या–3 बांये भाग की कॉमन केरोटिड़ रेपचर और वर्टिबल कॉलम टूटा हुआ था। उक्त चिकित्सक साक्षी ने उसकी अंतिम राय दी है कि मृत्यु का मोस्ट प्रोबेबिलि कारण हाईपो वोल्यमिक शॉक और हिमोरेजिक शॉक जो कि अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण हुआ था। उल्लेखनीय है कि विदीर्ण क्षत (lacerated injuries) फटे हुये घाव मृतक के गर्दन पर पाये गये–मामले की परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी चोटें धारदार हथियार से कारित नहीं की जा सकती थी जो खास तौर से काफी गहरी चोट थी, जो जाहिर है भोटे हथियार से आने की संभावना नहीं है। मात्र चिकित्सकीय राय निर्णायक सबूत नहीं हो सकती जबकि अन्य तथ्य सारे इस ओर इंगित कर रहे है कि मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से जान लेवा हमला हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो भी गयी है और उक्त हथियार के धारदार होने बाबत एवं मृतक की आयी चोट के प्रकृति बाबत पंचायतनामा प्रदर्श पी–1 में भी आया है जो लाश की सबसे

Authenticated Document

पहली स्थिति होती है वह तैयार किया गया दस्तावेज है और जैसे–जैसे देरी होती है वैसे–वैसे कटे हुये हिस्से पर सूजन बढ़ने लगती है जो फटे हुये घाव के रूप में तब्दीली होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतया धारदार हथियार जिनका इस्तेमाल गाँवों में टहनियां और शाखाओं के काटने में किया जाता है वे उतनी तेज नहीं होती है। जब ऐसे हथियार का इस्तेमाल गर्दन पर किया जाता है तो उनसे विदीर्ण क्षत या फटे हुये घाव (lacerated injuries) कारित किये जाने की संभावना होती है। मामले में साक्षी पी.डब्ल्यू–11 लक्ष्मण ने जिरह में तलवार पुरानी होना बताया है और अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू–16 मोहन ने जिरह में आर्टिकल–2 तलवार जंग लगी हुई होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण की जिरह में आये तथ्यों से तलवार पुरानी होकर जंग लगी होना प्रमाणित है।

54. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक तर्क यह भी रहा है कि अभियुक्तगण की पहचान परेड़ नहीं करवायी गयी है। उक्त तर्क हमारी विनम्र राय में माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर न्यायिक दृष्टांत पारित किये गये हैं। माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत लाला अनुराग प्रकाश आश्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तगण की बिना पहचान परेड़ के जेल भी होती है तो भी सजा वैध है तथा अन्य न्यायिक दृष्टांत S.C. मुंशिसिंह गोतम बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश (2005) 09 एस.सी.सी. 631 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अपीलांट की पहचान परेड़ करवा ली गयी थी, जो अपीलांट की अपील खारीज की गयी थी। एफ.आई.आर. में नाम नहीं होने से दोषमुक्ति के पात्र नहीं बन जाते है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कई बिन्दुओं पर जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें पूर्ण सम्मान देते हुए मेरी विनम्र राय में उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों एवं परिस्थितियों में भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के लिये सहायक नहीं है।

55. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा मृतक कुबेरसिंह की माता श्रीमती मणी पी.डब्ल्यू–2 के दांहिने हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकालकर लूट कारित करने का प्रश्न है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–25 बृजेश कुमार ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 में वर्णित लूटा गया चांदी का कड़ा बरामद नहीं हुआ था। इसकी यह स्वीकारोक्ति रही है कि प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि लूटा गया कड़ा बरामद किया जा सकता। इसने यह स्वीकार किया है कि श्रीमती मणी का लूटा हुआ चांदी का कड़ा कौन लेकर गया यह उसके अनुसंधान में नहीं आया। इसने यह स्वीकार किया है कि जेसा पिता धीरा व जेसा उर्फ जयसिंह द्वारा कड़ा लूटने का तथ्य उसने उसके अनुसंधान में प्रमाणित नहीं पाया। स्वयं परिवादीया पी.डब्ल्यू–2 श्रीमती मणी ने मुख्य परीक्षा में मुल्जिमान द्वारा 25 तोले का कड़ा हाथ से निकालकर चले जाना बताया है, लेकिन

जिरह में इस तथ्य को गलत बताया है कि लूटेरे आये हो और उसका कड़ा निकालकर ले गये हो। इस प्रकार दौराने अनुसंधान मृतक की माता श्रीमती मणी के हाथ में पहना हुआ चांदी का कड़ा अभियुक्तगण से बरामद नहीं हुआ है तथा अभियुक्तगण की चांदी का कड़ा बरामद कराने की इत्तला भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामा व जेसा पिता धीरा को अपराध अन्तर्गत धारा 392, 392/34 भारतीय दण्ड संहिता से नहीं जोड़ा जा सकता है।

56. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर पूर्ण मनन करने व उसके उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त मेरी विनम्र राय में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भली–भांति साबित है कि **दिनांक 04.06.2019 को 12:30 ए.एम. पर अभियुक्तगण ने मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादिया मणी के डूंका फला धानमुलिया स्थित रहवासीय मकान के आंगन में सो रहे पुत्र कुबेरसिंह की गर्दन पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गयी।** अतः अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा व जेसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 302/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं तथा प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भली–भांति साबित नहीं हुआ है कि **परिवादिया मणी के हाथ की कोहनी पर पहना हुआ चांदी का कड़ा निकालकर लूट कारित की।** अतः अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा व जेसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392, 392/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

:: <u>आदेश</u> ::

57. परिणामतः अभियुक्तगण **जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामाजी** उम्र 42 साल व **जेसा पिता धीरा** उम्र 49 साल निवासीयान डूंका फला धानमलिया पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा **392, 392/34** भारतीय दंड संहिता के आरोप के लिये साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा धारा **302, 302/34** भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

58. अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

Authenticated Document

59. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

60. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। उनकी यह प्रथम दोषसिद्धी है तथा वे ग्रामीण परिवेश के हैं। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध नरम रूख अपनाया जावे। इसका विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए कृत्य के लिए कड़ी सजा दिए जाने का निवेदन किया।

61. उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर उसकी जीवनलीला समाप्त की गयी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित समझती हूंः–

–:: दण्डादेश ::–

62. अभियुक्तगण **जयसिंह उर्फ जेसा पिता रामाजी** उम्र 42 साल व **जेसा पिता धीरा** उम्र 49 साल निवासीयान डूंका फला कुड़िया (धानमुलिया) पुलिस थाना धम्बोला जिला डूँगरपुर (राज.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **302, 302/34** के आरोप में **आजीवन कारावास** एवं **तीस–तीस हज़ार रुपए** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **दो–दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास** भुगतेंगे।

63. अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे।

64. अभियुक्तगण का सजा वारण्ट निर्मित किया जावे एवं निर्णय की प्रति उन्हें नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

65. प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

66. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल नंबर RJ 12 SP 3218 प्रार्थी पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्ड़र अखमसिंह को सुपुर्दगी पर दी हुई है, जिसके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी निरस्त समझे जावे एवं मोटरसाइकिल सुपुर्ददार के पास ही रहेगी।

67. अभियुक्तगण जयसिंह उर्फ जेसा व जेसा पिता धीरा द्वारा अर्थदण्ड की राशी जमा किये जाने पर सम्पूर्ण राशी नियमानुसार मृतक कुबेरसिंह की पत्नी को प्रदत्त की जावे तथा धारा 357 दं. प्र. सं. के अधीन जुर्माने से अधिनिर्णित प्रतिकर पर्याप्त नहीं होने से प्रकरण के

Authenticated Document

तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए धारा 357(A) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाए जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रतिकर बाबत अनुशंषा की जाती है। इस हेतु निर्णय की एक प्रमाणित प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूँगरपुर को भिजवाई जावे।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

दण्डादेश आज दिनांक **29.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

OM
PRAKASH
FALEJA

P.A. CUM E.A. "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.07.04 13:43:44 +0530